केवल मेडिकल व्यवसायियों के लिए
मैडीकल दर्पण
Editor- Brijesh Garg www.medicaldarpan.com Monthly News Paper
B.N. Medical Complex, Bulandshahr (U.P.) Postal Reg. No.- BSR 56/2023-2025 RNI UPBIL/2010/44113
Year 16 | Issue 12 | D.O.P. 01 SEPTEMBER 2024 | Pages 16 | ₹ 10/- Copy | 09045029158, medicaldarpan.ctp@gmail.com

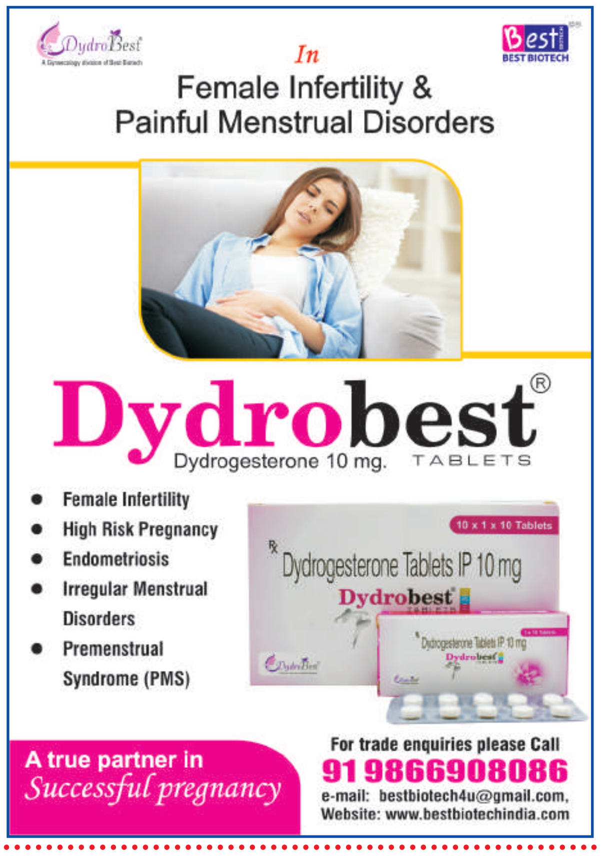

सन्त चुप रहते है, बुद्धिमान बोलते हैं, मूर्ख बहस करते हैं

गोरखपुर में लगा फार्मा मेला, उमड़ी भीड़

दिनांक 16 और 17 अगस्त को इन्डियन फार्मा फेयर के बैनर तले कौजी रिसोर्ट गोरखपुर में एक विशाल फार्मा फेयर आयोजित किया गया, जिसमें पुरे भारतवर्ष से लगभग 60 दवा कम्पनियों ने अपने स्टाल पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। मेले का उद्घाटन गोरखपुर के महापौर डा. मगलेश वास्तव अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति योगेन्द्र नाथ दूबे, महासचिव आलोक चौरसिया ने किया। प्रदर्शनी में गोरखपुर के आसपास के लखनऊ, बनारस, पटना, आजमगढ़, बसती, बलियाना, जौनपुर, कुशीनगर के अलावा पड़ौसी देश नेपाल सहित करीब 6,000 दवा व्यापारियों ने मेले में भाग लिया और लाभ उठाया। इन्डियन फार्मा फेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर बी.एस. भन्डारी ने मैडीकल दर्पण संवाददाता को जानकारी दी कि ये उनके बैनर का 11वां संस्करण है। उनका उददेृश्य फार्मा कंपनी और रिटेलर, होलसेलर, स्टाकिस्ट, c&f और ट्रेडर्स को एक प्लेटफार्म पर इक्टठा कर उनमे आपसी सामजस्य बनाना और उपभोक्ताओं को सही दवा उपलब्धा कराना हैं। फेयर में मैडीकल दर्पण मिडिया हाऊस के स्टॉल पर भी भारी भीड़ रही, मिडिया हाऊस के सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर आने के प्रयास की सभी दवा व्यापारियों ने प्रशंसा की

अभय सिंघल 9319980483

एकम्स कंपनी ने अपने उत्पादों पर लगाई रोक

प्राप्त समाचार के अनुसार एकम्स कंपनी ने अपने उत्पाद वापस मांगे हैं, जानकारी मिली है कि एक्मस ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पेंटेड 800 400 वे 200 गोलियों को एबॉट कंपनी ने तुरंत वापस मंगाई है और उनकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है अतः सभी रिटेल रोड होलसेलरों से कहा गया है कि वह इस उत्पाद को ना भेजें और सेल्फ में लगे कंपनी को तुरंत वापस कर दें। इन गोलियों में फूली हुई पटिटयों से संबंधित अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं। कंपनी द्वारा स्टॉक किसी भी परिवहन के माध्यम से माल ढुलाई के आधार पर वापस करने का आग्रह किया है। **संदीप जैन** मो. 9999012080

जैसा मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने तथा वृद्ध शरीर को त्यागकर नये शरीर को प्राप्त करती है.

डीसीए ने की छापेमारी, गलत ब्रांड वाले सौंदर्य प्रसाधन और दवाएं जब्त

हैदराबाद: प्राप्त समाचार के अनुसार डीसीए ने छापेमारी कर गलत ब्रांड वाले सौंदर्य प्रसाधन और दवाएं जब्त की हैं। जानकारी अनुसार तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) के अधिकारियों ने कई स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सौंदर्य प्रसाधन और दवाओं के निर्माण और बिक्री से संबंधित मामले पकड़े गए हैं। अधिकारियों ने मंगलहाट में सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली मोहसिन इंडस्ट्रीज पर छापा मारा। जांच के दौरान पता चला कि यह फैक्ट्री बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। टीम में वी. अजय, ड्रग्स इंस्पेक्टर, गोशामहल और पी. संतोष, ड्रग्स इंस्पेक्टर, मेहदीपट्टनम शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में मेहंदी शंकु का अवैध रूप से उत्पादन किया जा रहा था। मौके से दुल्हन स्पेशल कराची मेहंदी कोन्स समेत बड़ी मात्रा में सौंदर्य प्रसाधन जब्त किए गए हैं। बताया गया है कि सौंदर्य प्रसाधनों के पास वैध कॉस्मेटिक्स लाइसेंस नहीं था और यह भारतीय मानक आईएस 17318:2020 का अनुपालन नहीं करता था। मेंहदी उत्पादों में पिक्रैमिक एसिड जैसे सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। परीक्षण के लिए सैंपल लिए गए हैं।

भ्रामक ब्रांड वाले सौंदर्य प्रसाधन जब्त :

डीसीए अधिकारियों ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित नलगोंडा में तवक्कल सीजर्स ग्राइंडिंग वर्क्स और एएफ कॉस्मेटिक्स पर रेड की। छापे में ब्यूटी ब्लैंक फ्रूट विनेगर नेचुरल ब्लैंक हेयर कलर और बीएंडबी बेयर ब्लैंक आर्गन ऑयल हेयर कलर जेल सहित गलत ब्रांड वाले हेयर कलर का पर्दाफाश हुआ। इन उत्पादों पर चीन के निर्माताओं और तमिलनाडु के आयातकों का लेबल लगा हुआ मिला। उनमें आयात लाइसेंस संख्या अंकित नहीं मिली।

अवैध दवाइयों के साथ झोलाछाप को पकड़ा

अन्य मामले में सिद्दीपेट जिले के सुरमपल्ले गांव में एक झोलाछाप चिकित्सक के. बाल नरसिम्हुलु के क्लिनिक पर छापेमारी की गई। मौके पर एंटीबायोटिक्स और आईवी तरल पदार्थों सहित बिना लाइसेंस वाली दवाओं का भंडार मिला।

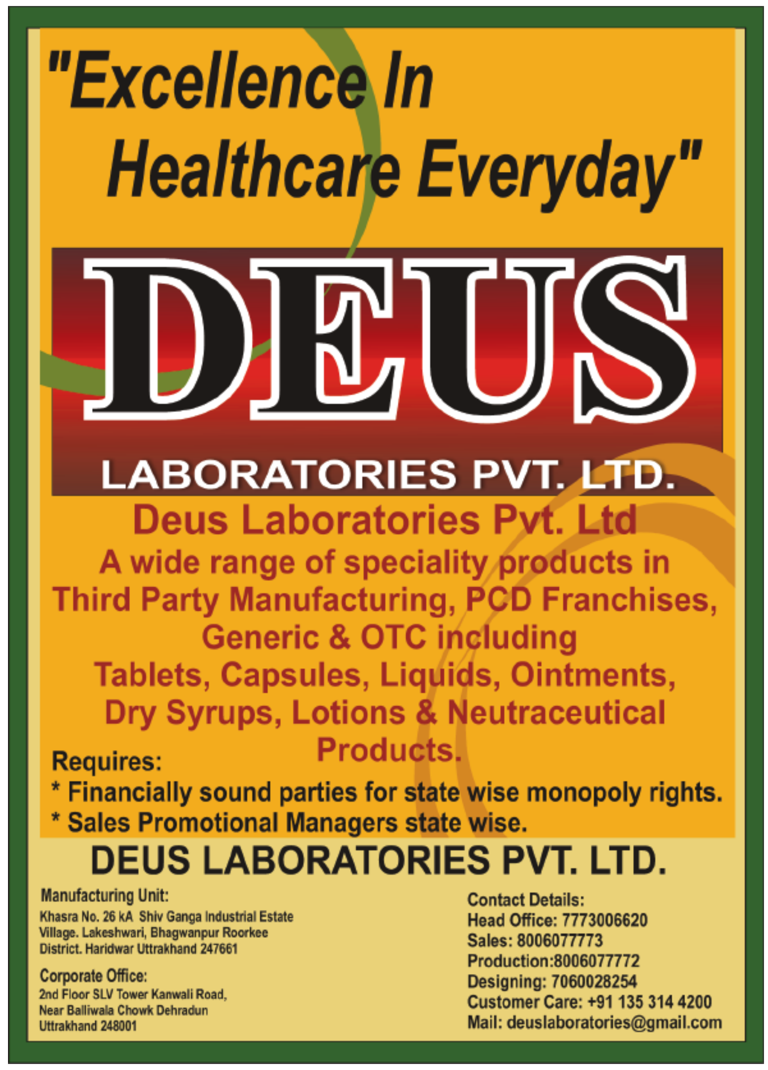

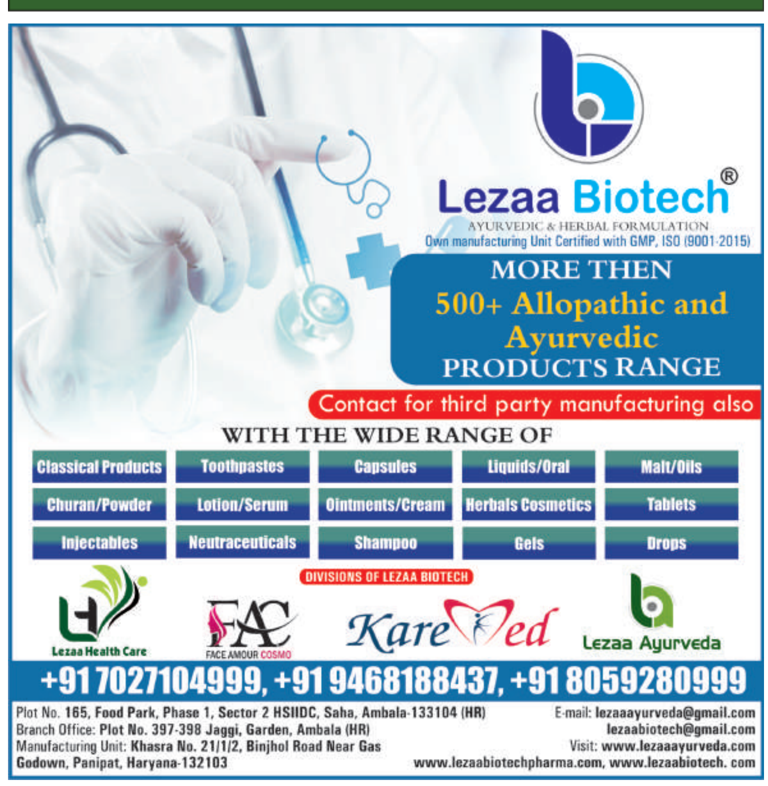

फेमस हार्ट हॉस्पिटल पर मनमानी के खिलाफ चलेगा बुलडोजर

लखनऊः प्राप्त समाचार के अनुसार नगर के फेमस हार्ट हॉस्पिटल को गिराए जाने की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। कोर्ट के मौखिक आदेश के बाद आवास विकास परिषद ने कार्रवाई को रोका है। बता दें कि एक्शन आवास विकास परिषद ने लखनऊ के इन्दिरा नगर में स्थित शेखर अस्पताल के अवैध निर्माण को गिराया जाने का निर्णय लिया था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए कुछ दिन पहले ही शेखर अस्पताल पर नोटिस चिपकाया था और कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स की मांग की गई थी।

अवैध निर्माण का भेजा था नोटिस : गौरतलब है कि शेखर अस्पताल का भवन इंदिरा नगर योजना के सेक्टर सी में भूखंड संख्या 2 पर बना है। आवास विकास के अभियंताओं ने लगभग 12 साल पहले अवैध निर्माण कार्य करने पर अस्पताल प्रशासन को पहला नोटिस भेजा था। इसके बावजूद, मानचित्र को स्वीकृत कराए बिना ही अस्पताल ने तीन मंजिल के बजाए छह मंजिल भवन बनाया। परिषद से ध्वस्तीकरण का नोटिस मिलने पर अस्पताल प्रशासन उच्च न्यायालय गया था, लेकिन उन्हें वहां राहत नहीं मिली। बीते सप्ताह परिषद ने अस्पताल भवन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया। अधिशासी अभियंता गौतम कुमार ने बताया कि छह मंजिला भवन में तीन अवैध मंजिलों का निर्माण हुआ है। कुल 1795.25 वर्गमीटर क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण है, जिसे ढहाया जाएगा।

जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नही।

सीरम इंस्टीट्यूट, मंकीपॉक्स वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहा

नई दिल्लीः प्राप्त समाचार के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि वह वर्तमान में मंकीपॉक्स के लिए एक वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहा है, जिसके एक साल में सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। यह कदम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अचानक वृद्धि दर्ज किए जाने के बाद उठाया गया। भारत में, 2022 से अब तक लगभग 30 एमपॉक्स मामलों का पता चला है। देश में सबसे हालिया मामला मार्च 2024 में सामने आया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एक बयान में कहा, एमपॉक्स प्रकोप के कारण घोषित वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के मद्देनजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्तमान में इस बीमारी के लिए एक वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहा है, ताकि लाखों लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है।

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि चल रही प्रगति के साथ, पुणे स्थित वैक्सीन प्रमुख के पास एक साल के भीतर साझा करने के लिए अधिक अपडेट और सकारात्मक समाचार होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह जारी की है कि हवाई अड्डों और बंद. रगाहों पर, विशेष रूप से अंत. रराष्ट्रीय प्रवेश बिंदुओं पर जांच बढ़ाई जाएगी। सरकार ने तीन अस्पतालों- राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को मरीजों के अलगाव, प्रबंधन और उपचार के लिए नोडल केंद्र घोषित किया है।

मेडिकल स्टोर पर रेड

गोरखपुरः प्राप्त समाचार के अनुसार मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करने का समाचार है। जांच में पता चला कि स्टोर को बिना लाइसेंस के ही चलाया जा रहा था। इसके चलते चार दवाओं के सैंपल लेकर उसे सील कर दिया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र, सहायक आयुक्त औषधि, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़ की टीम ने अमिला बाजार में मेडिकल स्टोर पर की। मेडिकल स्टोर में रखी गई सभी दवाओं को मौके पर ही सील कर दिया गया। इसकी कीमत 1.57 लाख रुपये आंकी गई है। चार दवाओं के सैंपल भी लिए है, जिनको जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

निजी अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा

अंबेडकरनगर: प्राप्त समाचार के अनुसार निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत पर हंगामा हो गया। शिकायत मिलने पर अस्पताल को सील कर दिया गया है। इस्माइलपुरगंज निवासी संजय चौहान ने अपनी पत्नी गुंजन (24) को प्रसव पीड़ा के बाद जलालपुर के रामगढ़ रोड स्थित अयोध्या हॉस्पिटल में दाखिल कराया। वहां ऑपरेशन के नाम पर चिकित्सक ने 50 हजार रुपये मांगे। ऑपरेशन के बाद गुंजन ने पुत्र को जन्म दिया। रात आठ बजे गुंजन की तबीयत खराब होने लगी। इसकी जानकारी दी गई लेकिन न तो चिकित्सक पहुंचे और न ही हॉस्पिटल स्टाफ ने ठीक से इलाज किया। लापरवाही बरतने के कारण रात साढ़े दस बजे अस्पताल में ही महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए रात में ही निजी अस्पताल में हंगामा कर दिया। हंगामे के कारण चिकित्सक व सभी स्टाफ वहां से फरार हो गए। जानबूझकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति ने केस दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने इस पर रामपुर चाड़ीडीहा निवासी डॉ. राजेश यादव व अस्पताल के अन्य अज्ञात स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस व स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया। अगले दिन परिजनों व ग्रामीणों ने मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

कई हॉस्पिटल्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस सतर्क

जयपुर (राजस्थान): कई हॉस्पिटल्स को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिन अस्पतालों को यह धमकी मिली है, उनमें सीके बिड़ला अस्पताल और मो. निलेक अस्पताल भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड अस्पताल पहुंच गए। बता दें कि एक दिन पहले नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया और गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल को भी बम से उड़ाने की धमकी की बात सामने आई थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों ही जगहों पर सघन जांच शुरू की गई। अगस्त की शुरुआत में दिल्ली में ग्रेटर कैलाश एरिया के एक स्कूल को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जुलाई महीने में इंदौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को 15 अगस्त पर बम से उड़ा देने की धमकी मिली थी। जून महीने में मुंबई के 50 से अधिक हॉस्पिटल्स में, देश के 41 एयरपोर्ट्स पर, चेन्नई से दुबई जाने वाले एक प्लेन और चेन्नई से मुंबई आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने का धमकी भरा मैसेज आया था।

कफ सिरप की अवैध सप्लाई का भंडाफोड़, फार्मा मालिक गिरफ्तार

श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर): कफ सिरप की अवैध सप्लाई का भंडाफोड़ होने का मामला सामने आया है। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल टीम ने पांवटा साहिब विदित फार्मा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल टीम ने कफ सिरप कोरेक्स के अवैध धंधे में शामिल पांवटा साहिब की विदित फार्मा कंपनी के मालिक नीरज भाटिया को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एजेंसी द्वारा पिछले छह-सात वर्षों से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सक्रिय एक कुख्यात समूह के अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके करीब 34 किग्रा. कोडीन आधारित कफ सिरप जब्त किया गया है। वहीं, इस मामले में एनसीबी जम्मू जोनल यूनिट ने अन्य आरोपी नीरज भाटिया को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। बता दें कि विदित हेल्थकेयर उचित दस्तावेज सत्यापन और जमीन पर उनकी उपस्थिति के बिना और प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए शेल कंपनियों को कोडीन आधारित सिरप की सप्लाई कर रहा था। जानकारी के बावजूद विदित हेल्थकेयर के मालिक नीरज भाटिया सात साल से इन फर्जी कंपनियों के साथ मिलीभगत कर कोडीन आधारित सिरप का लेनदेन कर रहे थे। जांच में पाया गया कि जनवरी 2024 से विदित हेल्थकेयर ने जांच के तहत एक फर्जी फर्म को तीन लाख कोडीन आधारित सिरप की सप्लाई की थी और इससे पहले भी वह औसतन 3 लाख बोतलें तिमाही यानी 12 लाख बोतलें सालाना सप्लाई करता था।

बवासीर का इलाज बताने वाले दो फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ FIR

पुणे: प्राप्त समाचार के अनुसार बवासीर का इलाज बताने वाले दो फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। भारती विद्यापीठ पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी डॉक्टर बनकर बवासीर से पीडित मरीजों का इलाज कर रहे थे। पुणे नगर निगम (पीएमसी) के डॉ. अमित शाह ने अम्बेगांव खुर्द स्थित क्लिनिक में दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुणे नगर निगम को शिकायत मिली थी कि दो आयुर्वेद चिकित्सकों ने उसकी पत्नी को एलोपैथी दवाइयां दीं और बवासीर ठीक करने के लिए सीरिंज का इस्तेमाल किया। शिकायत के आधार पर अधिकारियों की एक टीम ने क्लिनिक का दौरा किया। मौके पर पाया गया कि प्रमाण पत्रों में दावा किया गया था कि वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मेडिकल डिग्री हैं। टीम को एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कॉटन स्वैब और सीरिंज भी मिलीं। दोनों फर्जी डाक्टरों ने प्रति मरीज 10 हजार से 20 हजार रुपये वसूले। मेडिकल फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी ने कुछ दिन पहले अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया कि उनकी डिग्री फर्जी थी। इसके बाद पीएमसी अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क किया और उनके खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया गया।

डी फार्मा के नाम पर वसूली में कॉलेज के एमडी पर एफआईआर दर्ज

बरेली: डी फार्मा के नाम पर वसूली को लेकर संबंधित कॉलेज के एमडी पर एफआईआर दर्ज होने का मामला सामने आया है। सीबीगंज स्थित खुसरो पीजी कॉलेज के डी फार्मा छात्रों को फर्जी मार्कशीट दे दी गई थी। एसएसपी के आदेश पर कॉलेज के प्रबंध निदेशक व भाजपा नेता शेर अली जाफरी और एक अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप में बताया गया है कि खुसरो पीजी कॉलेज प्रबंधन ने डी फार्मा डिप्लोमा कोर्स कराने के नाम पर 400 छात्रों से 2.30-2.30 लाख के हिसाब से करोड़ों रुपये की रकम वसूली गई थी। पास होने के बाद जब छात्र मार्कशीट लेकर नौकरी/मेडिकल स्टोर के लिए संबंधित विभाग में आवेदन करने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये डिप्लोमा फर्जी है।

यूनिवर्सिटी का असितत्व ही नहीं : जांच में पता चला कि जिस विश्वविद्यालय से कॉलेज संबद्धता बता रहा था, वह तो अस्तित्व में ही नहीं है। छात्र आठ माह से कॉलेज के चक्कर काट रहे थे। एसएसपी के आदेश पर शेर अली जाफरी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईदर्ज की गई है। अभी और आरोपियों के नाम भी बढने की संभावना है। बताया जाता है कि कॉलेज में कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, जिनके जरिये छात्रों ने फीस जमा की है।

फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली एटोडोलैक + पैरासिटामोल युक्त दवा बैन

नई दिल्ली: फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली एटोडोलैक और पैरासिटामोल के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने कहा है कि इन केंद्र एफडीसी दवाओं का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनसे मनुष्यों को जोखिम हो सकता है। सरकार की विशेषज्ञ समिति ने कुछ शर्तों के तहत नेप्रोक्सन आईपी और एंटासिड दवाओं से युक्त दो एफडीसी दवाओं के सीमित मानव उपयोग की अनुमति दी है। ये दवाएं दर्द निवारक हैं। फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन या कॉकटेल ड्रग्स वे होती हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या अधिक सक्रिय दवा सामग्री का संयोजन होता है। एटोडोलैक + पैरासिटामोल एफडीसी पर प्रतिबंध की सूचना 2018 में अधिसूचित की गई थी, लेकिन दवा निर्माताओं ने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार के औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) ने मामले की जांच के लिए एक उप-समिति का गठन किया। इसने कहा कि दवा तर्कहीन है और जनहित में इस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। अब डीटीएबी की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से एटोडोलैक + पैरासिटामोल के दवा के निश्चित खुराक संयोजन के मानव उपयोग के लिए निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है। उक्त दवा का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं पाया गया है और इससे मनुष्यों को खतरा हो सकता है। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन क्रमशः एफडीसी नेपरोक्सन आईपी 375 एमजी + एसोमेप्राजोल मैग्नीशियम ट्राइहाइड्रेट आईपी 20 एमजी कैप्सूल या टैबलेट और नेपरोक्सन आईपी 250/500 एमजी + पैंटोप्राजोल आईपी 20 एमजी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल या टैबलेट के निर्माण, बिक्री या वितरण को प्रतिबंधित कर दिया है। अधिकारी ने कहा कि सरकारी समिति समय-समय पर दवा के उपयोग की समीक्षा करती है।

आयुर्वेद की डिग्री पर नर्सिंग होम का अवैध संचालन, हास्पिटल सीज

आजमगढ़: आयुर्वेद की डिग्री पर नर्सिंग होम का अवैध रूप से संचालन करने पर हास्पिटल को सीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज कस्बा के मसीरपुर के पल्हना मार्ग पर चल रहे विश्वकर्मा अस्पताल पर की गई। बताया गया कि डॉक्टर की लापरवाही से बीते माह एक प्रसूता की मौत हो गई थी। मामला संज्ञान में आने पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच और अस्पताल को सीज कर दिया। वहीं, अस्पताल के संचालक और चिकित्सक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मनियरा गांव निवासी 28 वर्षीया नीतू पत्नी विजय कुमार को डिलीवरी के लिए मसीरपुर स्थित विश्वकर्मा हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। दोपहर में आपरेशन से प्रसूता ने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर हंगामा शुरू कर दिया। मृत महिला के पति विजय कुमार ने अस्पताल के चिकित्सक डॉ. बीएल विश्वकर्मा पर इलााज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएमओ डॉ. अशोक कुमार से शिकायत की। सीएमओ ने दो सदस्यीय टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए। जांच टीम ने पाया कि अस्पताल बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। डॉक्टर से उसके अस्पताल के कागजात मांगे तो इसे नहीं दिखा पाए। टीम में शामिल एसीएमओ डॉ. अरविंद चौधरी, लालगंज सीएचसी अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रसाद और चौकी प्रभारी अमित कुमार कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज कर दिया।

अमृत और मृत्यु - दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं. मनुष्य मोह से मृत्यु को व सत्य से अमृत को प्राप्त होता है

"यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है?" -चाणक्य

क्लीनिक और दो डायग्नोस्टिक लैब सीज

बीकानेर (राजस्थान): प्राप्त समाचार के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेड कर अवैध रूप से चलाए जा रहे क्लीनिक और दो डायग्नोस्टिक लैब को सीज कर दिया है। इनके अलावा, दो निजी अस्पतालों को सुधार की चेतावनी दी गई है। यह कार्रवाई श्रीडूंगरगढ़ में की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार गुप्ता के अनुसार उपजिला अस्पताल श्रीडूंगरगढ़ के नजदीक राजश्री हेल्थ केयर के नाम पर अवैध रूप से क्लीकिन चलाने की शिकायत मिली थी। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लीनिक पर दबिश दी। मौके पर क्लीनिक में मरीज तो मिले पर डॉक्टर नदारद पाए गए। टीम के बुलाने पर भी डॉक्टर अरविंद चौधरी मौके पर नहीं आए। टीम ने सभी मरीजों को राजकीय अस्पताल में शिफ्ट कर दिया और फर्जी क्लीनिक को सीज कर दिया गया। जांच में क्लिनिक में किसी भी प्रकार का कोई पंजीकरण, बायो मेडिकल वेस्ट , डॉक्टर की डिग्री कुछ भी नहीं मिला।

लैब में टेक्नीशियन के पास नहीं मिला लाइसेंस : डॉ. गुप्ता ने बताया कि अस्पताल के पास ही चल रहे कृष्णा लैब में एक भी टेक्नीशियन के पास डिग्री और लाइसेंस नहीं मिला और लैब का बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन सर्टिफिकेट भी नहीं था। क्लीनिकल का इस्टैब्लिशमेंट में पंजीकरण भी नहीं था। इसके चलते टीम ने लैब को तुरंत सीज कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कस्बे के धनवंतरी अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। यहां नर्सिंग कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ अशिक्षित मिला और बच्चों की नर्सरी भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर चला रहा था। अस्पताल संचालक को सुधार की चेतावनी देकर केवल प्रशिक्षित और पंजीकृत स्टाफ द्वारा ही स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद टीम तुलसी हॉस्पिटल पहुंची। जांच में हॉस्पिटल का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से पंजीकरण नहीं मिला और स्टाफ भी अशिक्षित पाया गया। इन्हें भी चेतावनी देकर सुधार हेतु निर्देश दिए गए।

सरकारी दवा की चाय-पान की दुकानों पर बिक्री, एएनएम गिरफ्तार

गोरखपुर: प्राप्त समाचार के अनुसा सरकारी दवा चाय-पान की दुकानों पर बिक्री होने का मामला प्रकाश में आया है। मामले से संबंधित आरोपी उरुवा स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एएनएम रीना को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बलिया जिले के बेल्थरा रोड थाने के गौवापार गांव की निवासी है। वह पिछले साल जुलाई में केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रही थी। जांच में पता चला कि आरोपी एएनएम थाने के चौकीदार के साथ मिलकर अस्पताल की सराकरी दवाओं को चोरी से महंगे दाम पर बिकवा रही थी। उरुवा पुलिस ने दुकानों पर छापा मारकर भारी मात्रा में सरकारी दवाएं बरामद की थीं। उप निरीक्षक रवि चौधरी की शिकायत पर थाने के चौकीदार और एएनएम पर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत पिछले साल जुलाई में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी चौकीदार परमानंद मिश्रा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी एएनएम फरार चल रही थी।

थाने के चौकीदार की मिलीभगत : पुलिस ने बताया कि रीना पत्नी मनोज कुमार उरुवा स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम थी। स्वास्थ्य केंद्र के सामने थाने के चौकीदार की पान की दुकान थी। चौकीदार की मदद से रीना ने वहां आस-पास की दुकानों में सेटिंग कर ली थी। सरकार की ओर से मुफ्त में दी जाने वाली दवाएं चोरी से एएनएम चाय, पकौड़ी और पान की दुकानों पर भिजवा देती थी। वहां से दवाओं को महंगे दामों पर बिकवाती थी। इसके बदले दुकानदारों को कमीशन मिलता था। एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर उरुवा पुलिस ने एक जुलाई 2023 को स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित दुकानों पर छापा मारा। वहां से 19 गत्ते में टैबलेट और कई डब्बों में फोलिक एसिड सिरप मिली थी। दुकानदारों ने बताया कि एएनएम रीना दवाएं लाती है। इसे हल्दीराम नमकीन के गत्ते में छिपाकर रखा जाता था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी एएनएम को उरुवा कस्बे से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। आरोपी बलिया जिले के बेल्थरा रोड थाने के गौवापार गांव की निवासी है। वह पिछले साल जुलाई में केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रही थी।

मेदांता की टीबी उन्मूलन पहल के 10 वर्ष पूरे हुए

नई दिल्ली: मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल मेदांता ने अपने मिशन टीबी-फ्री पहल के 10 साल पूरे होने की घोषणा की, जो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान है जिसका उद्देश्य पूरे हरियाणा और उसके बाहर तपेदिक (टीबी) का पता लगाना और उसका इलाज करना है। इस पहल की शुरुआत रेवाड़ी में एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए की गई थी, जिसमें टीबी मुक्त भारत के लिए एक व्यापक कॉल टू एक्शन के हिस्से के रूप में डिजिटल एक्स-रे तकनीक से लैस एक मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई थी। मेदांता ने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं और सेंट्रल टीबी डिवीजन, यूएसएआईडी और द यूनियन जैसे संगठनों के समर्थन से इस परियोजना का बाद में राज्य भर में विस्तार किया गया। अस्पताल ने दावा किया, इस अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक इसने 10 लाख लोगों की तपेदिक के लिए जांच की है, 80,000 छाती के एक्स-रे किए हैं और हरियाणा और सीमावर्ती राज्यों दिल्ली और उत्तर प्रदेश में टीबी के 10,000 से अधिक मामलों का निदान किया है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, भारत में टीबी की समस्या बहुत अधिक है और टीबी को खत्म करने की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। मैं इस मिशन में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मेदांता, राज्य सरकारों, यूएसएआईडी, संघ और पूरे चिकित्सा समुदाय की सराहना करती हूँ। हालांकि, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य केवल निरंतर सहयोग, अभिनव निदान और सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेप के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर टीबी हारेगा, देश जीतेगा को हकीकत बनाएं उन्होंने कहा, मेदांता के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉ. नरेश त्रेहन ने कहा, मिशन टीबी-मुक्ति के एक दशक पूरे होने पर, हम भारत के राष्ट्रीय टीबी उद्देश्यों को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं। उदार दान और रणनीतिक साझेदारी द्वारा समर्थित हमारा मिशन, टीबी को खत्म करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दर्शाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इन महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों को बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने किसानों, मजदूरों और धूम्रपान करने वालों जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों में पता लगाने की दरों में वृद्धि के साथ पर्याप्त प्रगति देखी है। हालांकि, मोबाइल यूनिट लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन, कभी-कभी निदान की कमी और सामुदायिक कलंक पर काबू पाने जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए, हम लक्षित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव बढ़ा रहे हैं और जीभ की सूजन परीक्षण जैसे अभिनव निदान विधियों की खोज कर रहे हैं।

दवा गोदाम पर रेड, बिना लाइसेंस के संचालन पर 25 लाख की दवाएं सीज

कोसीकलां, मथुरा (उप्र): दवा गोदाम बिना लाइसेंस के संचालन किए जाने पर 25 लाख की दवाइयां सीज की गई हैं। यह कार्रवाई औषधि विभाग की टीम ने नगर के लालाराम मार्ग पर एक मकान में बने गोदाम पर की। औषधि निरीक्षक प्रेम प्रकाश ने बताया कि प्रशासन को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि लालाराम मार्ग के पास एक गोदाम से बिना लाइसेंस के दवाइयां बेची जा रही हैं। इस पर टीम ने गोदाम पर पुलिस बल के साथ छापेमारी की। इस दौरान लाखों रुपये की दवाओं का स्टॉक मिला। मौके पर मौजूद कृष्णा कुमार से लाइसेंस मांगा तो वह इसे नहीं दिखा पाया।

34 और मल्टीविटामिन की हो रही समीक्षा

नई दिल्ली: सूत्रों के अनुसार, 156 दवाओं पर हाल ही में प्रतिबंध लगाने के बाद, भारत सरकार अब 34 अतिरिक्त मल्टीविटामिन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा, समीक्षा के आधार पर 34 मल्टीविटामिन का मूल्यांकन किया जा रहा है। सूत्रों ने यह भी बताया कि नए नियमों के तहत, राज्य अब दवा संयोजनों को मंजूरी नहीं दे सकते। सूत्रों ने कहा, डीटीएबी उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने हाल ही में 156 फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य प्राधिकरणों द्वारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) की अनुमति के बिना लाइसेंस प्राप्त एफडीसी की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित प्रोफेसर कोकाटे समिति की पहली मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, कई एफडीसी को तर्कहीन घोषित किया गया था। हालांकि, इन अधिसूचनाओं को अदालत में चुनौती दी गई और मामला डीटीएबी को भेज दिया गया, सूत्रों ने कहा। सूत्रों ने संकेत दिया कि इन दवाओं पर सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में चिंताओं के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय फार्मास्युटिकल अलायंस (आईपीए) ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। आईपीए के महासचिव सुदर्शन जैन ने एएनआई को बताया, यह कई वर्षों से चल रहा है, कोकाटे समिति और नीलिमा क्षीरसागर समिति जैसी समितियां इस मामले की व्यापक समीक्षा कर रही हैं। यह सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मरीजों के हित में उठाया गया एक सही कदम है।

कोडीनयुक्त की तस्करी पकड़ी

पूर्णिया: प्राप्त समाचार के अनुसार कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी पकड़ी गई है। मौके से कार सवार दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना की पुलिस ने एक कार से 97.5 लीटर कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किया है। गिरफ्तार तस्करों के नाम असीम तालुकदार एवं मो. विशु मियां बताए गए हैं। सदर थानाध्यक्ष राजीव कुमार लाल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार दमका चौक गुलाबबाग से डगरूआ की तरफ अवैध कोडीनयुक्त कफ सिरप की खेप लेकर आ रही है। सूचना के तहत पुलिस ने मौकास्थल पर जाकर एक कार को रोका और उसकी तलाशी ली। कार में 100 एमएल की 975 बोतलों में कुल 97.5 लीटर कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद की। बताया गया कि अवैध कफ सिरप दमका चौक के पास से कार में लोड किया गया था। कफ सिरप की बोतलों की डिलीवरी पश्चिम बंगाल में होनी थी। गिरफ्तार किए तस्करों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

जन्मदिन पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं

SHRI RAJESH JAIN JI	JALGAON	01/09/1969	9420112646
DR. ASHOK KUMAR RAGHUVANSHI JI	BULANDSHAHR	01/09/1969	8057254610
SHRI HARISH PURI JI	MEHSANA	03/09/1975	9824687563
SHRI MANIK NAGARE JI	NASHIK	03/09/1982	9545082121
SHRI VISHAL INGALE JI	WARDHA	04/09/1979	9423889084
MR. VIKAS KUMAR AGARWAL JI	BHUBANESWAR	04/09/1979	9437008789
SHRI ALPESH BHARODIYA JI	SURAT	05/09/1983	9998123928
SHRI HITESH PATEL JI	PATAN	05/09/1998	7284803099
SHRI VISHAL BORSE JI	JALGAON	05/09/1978	9420107438
SHRI VIJAY JOSHI JI	JALGAON	05/09/1983	9561942464
SHRI SURYA KR. GUPTA JI	BANDA	05/09/1982	9415189905
MR. DILIP KUMAR BEHERA JI	ANGUL	06/09/1972	9437426191
SHRI SANTOSH S.KADLAG JI	NASHIK	06/09/1978	9960348500
SHRI ROHAN S.ANDHOLKAR JI	JALGAON	06/09/1988	9860273472
SHRI PUNEET KALRA JI	AGRA	06/09/1979	9760839729
SHRI VIRAJ BAGOLE JI	PUNE	06/09/1984	9890300114
MR. PREMRAJ M. GAKHARE JI	WARDHA	06/09/1985	8805337033
SHRI UMESH R. UNNARKAR JI	NAGPUR	07/09/1974	9921616272
SHRI NITIN S. CHAVAN JI	JALGAON	07/09/1972	9850999837
SHRI VINAY CHAUDHARI JI	JALGAON	08/09/1985	8007000300
SHRI HARKESH SAINI JI	AMBALA	09/09/1976	9050939364
SHRI VISHNU HATWAR JI	GONDIA	10/09/1971	9923627806
SHRI ASHISH PARIKH JI	NASHIK	11/09/1968	9923280214
SHRI RAKESH M.CHAUDHARJ JI	JALGAON	12/09/1985	9405759005
SHRI NISHIKANT MANDORE JI	JALGAON	12/09/1964	9822393447
SHRI MAHESH K. KAPGATE JI	GONDIA	14/09/1984	9423384294
SHRI HARI PRAKASH GOYAL JI	ALWAR	14/09/1960	9413910965
SHRI PIYUSH CHANDPARA JI	SURAT	15/09/1985	9601188855
SHRI RAMSINGH BHARDWAJ JI	GONDIA	15/09/1982	9422116975
SHRI SUNIL KOTKAR JI	NASHIK	15/09/1978	9156246241
SHRI BHUPENDRA BHARDWAJ JI	ALWAR	15/09/1983	9950138066
SHRI MAHESH LOHARKAR JI	NASHIK	15/09/1980	9890156333
SHRI NAGRAJ G. BONGERI JI	BELGAUM	16/09/1966	9845448386
SHRI ANIL M. KANKARIYA JI	DHULE	17/09/1973	9404576769
SHRI HITESH PATEL JI	VADODARA	17/09/1979	9824448255
DR. ATAR SINGH JI	BULANDSHAHR	17/09/1961	9761136453
SHRI JITENDRA P. BAEHHAV JI	NASHIIK	17/09/1983	8806008060
SHRI JAI PRAKASH TIWARI JI	NAGPUR	19/09/1962	7875122777
SHRI KAMLAKAR CHAURAGADE JI	GONDIA	19/09/1973	9420617272
SHRI SURESH BHANDARI JI	JALGAON	19/09/1970	9421514477
SHRI RISHABH SINGHVI JI	WARDHA	20/09/1974	8830316248
SHRI DINESH F.PARDHI JI	GONDIA	20/09/1979	9049674867
SHRI ATUL J. MANTRI JI	PUNE	20/09/1981	7588693305
SHRI HITESH K. PATEL JI	SURAT	21/09/1984	9099481573
SHRI PRAJYOT D.KALE JI	NASHIK	21/09/1971	9823249017
MR. ABHISHEK JI	MEERUT	22/09/1995	9997345750
SHRI DARSHAN TAILAR JI	TAPI	23/09/1972	9879260122
SHRI DEEPAK RANE JI	TAPI	23/09/1973	9427586570
SHRI ARTUN PATIL JI	KOLHAPUR	23/09/1976	9922403831
SHRI NIRAJ SHAH JI	VADODARA	23/09/1982	9426980491
SHRI DINKAR S. DESHMUKH JI	JALGAON	23/09/1966	9403372226
SHRI DILIP GUPTA JI	ETAH	23/09/1977	8077590050
SHRI RAJKUMAR S.JAIN JI	DHULE	24/09/1995	9637705111
SHRI THOKE SACHINDEVAJI JI	NASHIK	25/09/1978	9823067762
SHRI KALPESH S. BAGMAR JI	PUNE	25/09/1986	9881188630
SHRI SANJAY KOTECHA JI	JALGAON	26/09/1976	9823078748
SHRI RAJENDRA A. PATIL JI	JALGAON	26/09/1977	9421638477
SHRI SANTOSH N.PATIL JI	KOLHAPUR	28/09/1979	9822224376
SHRI KISHORE BAGDE JI	NASHIK	28/09/1975	9923420444
SHRI RUPESH M. VARKHEDE JI	NASHIK	29/09/1975	9822095871
SHRI PARIMAL PATIL JI	JALGAON	30/09/1978	9326537991
SHRI TEJWANT P.MALPURE JI	NASHIK	30/09/1973	8308125123
SHRI MAHAVIR S.KARNAWAT JI	PUNE	30/09/1978	9822399215
SHRI KUNAL C.KOTHARE JI	NASHIK	30/09/1991	9860178235
SHRI HEMANT T. MUNFAND JI	PUNE	30/09/1982	9850958310

सरकारी फार्मासिस्ट को निजी क्लीनिक चलाते हुए पकड़ा

फिरोजाबाद: सरकारी फार्मासिस्ट को निजी क्लीनिक चलाते हुए पकड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने उसके क्लीनिक को सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगला भाऊ क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक क्लीनिक पर छापेमारी की। बिना रजिस्ट्रेशन के चलता हुआ मिला। इस कारण टीम ने क्लीनिक को सील कर दिया। हैरानी की बात ये है कि क्लीनिक में एक सरक. ारी फार्मासिस्ट डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहा था। नोटिस जारी करते हुए तथाकथित डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसीएमओ नोडल अधिकारी डॉक्टर विश्वदीप अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुदाऊं में फार्मासिस्ट प्रवीन यादव काफी समय से नगला भाऊ क्षेत्र में खुद को डॉक्टर बताकर अवैध तरीके से क्लीनिक संचा. लित कर रहा है। जानकारी के आधार पर नोडल अधिकारी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर फार्मासिस्ट को मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ लिया।

प्रतिबंधित कैप्सूल की तस्करी में युवक गिरफ्तार

जगाधरी (हरियाणा): प्रतिबंधित कैप्सूल की तस्करी में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने ताजेवाला हेड से नाकाबंदी के दौरान की। आरोपी उत्तर प्रदेश से हरियाणा में प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई करने आया था। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रायपुर निवासी हसन उर्फ समीर के नाम से हुई। आरोपी से प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी को कोर्ट पेश कर रिमांड पर लेने की तैशरी की जा रही है। पुलिस अधिकारी जसविंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक प्रतिबंधित नशीली दवाइयां लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सतीश कुमार, रिशिपाल, अशोक राठी, एएसआई बीरबल, राजेंद्र की टीम गठित की गई। टीम ने मौके पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। इस दौरान यूपी की ओर से एक युवक बाइक पर आता दिखाई दिया। टीम ने संदेह के आधार पर उसे रोक कर जांच की। युवक की तलाशी में कुछ प्रतिबंधित 1200 की संख्या में दवाइयां मिली। ड्रग कंट्रोलर ने जांच कर बताया कि युवक से बरामद दवाइयां ट्रामाडोल कैप्सूल है। इन दवाओं के लाने व ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। पुलिस ने आरोपी की बाइक को भी कब्जे में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग ने की ताबड़तोड़ छापेमारी, चार अस्पताल सील

दुर्ग (छत्तीसगढ़): स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर चार अस्पतालों को सील कर दिया है। रेड के दौरान इन अस्पतालों में कई अनियमितता और दस्तावेजों में कमियां मिलने पर यह कार्रवई की गई। स्वास्थ्य विभाग टीम ने जिले के कई अस्पतालों में निरीक्षण किया। इस दौरान चार अस्पतालों में कई कमियां मिली। इनमें तीन अस्पताल बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के चल रहे थे। इसके अलावा एक अस्पताल के पास पर्यावरण की परमिशन नहीं मिली। नियमों का पालन नहीं मिलने पर सभी को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा गया है। टीम ने दुर्ग जिले के ओम क्लीनिक पोटिया कला दुर्ग, केयर हॉस्पिटल कोहका रोड भिलाई, जैमिनी हॉस्पिटल पोटिया चौक आदर्श नगर दुर्ग, भाटिया डेंटल हॉस्पिटल, ओम हॉस्पिटल मानवीय नगर दुर्ग और पैथोलॉजी लैब जीई रोड दुर्ग में रेड की। इन अस्पतालों के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी।

नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया गया। यहां नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों और नियमों की अनदेखी कर उल्लंघन किया जा रहा था। इन सभी अस्पतालों और क्लीनिकों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोटिस भेजा है। इसके साथ ही तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हेल्थ विभाग की टीम ने ओम क्लीनिक और भाटिया डेंटल हॉस्पिटल, पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया कि बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के ये हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। जांच के दौरान टीम ने अस्पताल प्रबंधन से लाइसेंस और अन्य कागजों की मांग की तो वे नहीं दे सके। इस तरह दोनों अस्पताल को बंद करने के निर्देश दिए गए।

महिला वार्ड में पुरुष मरीज भर्ती : पोटिया चौक आदर्शनगर दुर्ग स्थित जैमिनी हॉस्पिटल में महिला वार्ड में पुरुष मरीज को भर्ती पाया गया। यहां पर आयुष्मान व अन्य सुविधाओं की पूर्ति भी अस्पताल नहीं कर पाया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब कोहका रोड स्थित केयर हॉस्पिटल गई तो यहां मरीजों को वार्ड तक लाने ले जाने के लिए रैंप ही नहीं था।

इंजेक्शन और दवाओं के लिए क्यूआर बारकोड लागू करने की कवायद

नई दिल्ली: इंजेक्शन और दवाओं के लिए क्यूआर बारकोड लागू करने की कवायद शुरू की जाने वाली है। नकली दवाओं की सप्लाई रोकने के लिए अब इंजेक्शन, कैंसर की दवाओं और एंटीबायोटिक दवाओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य किया जा सकता है। ये क्यूआर कोड दवाओं की प्रामाणिकता को मान्य करेंगे। दरअसल, स्कैन निर्माता का नाम ,पता, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, समाप्ति तिथि; और विनिर्माण लाइसेंस संख्या आदि विवरण के साथ प्रदर्शित करता है। बता दें कि भारत के शीर्ष दवा नियामक द्वारा यह योजना एलेग्रा, शेल्कल, कैलपोल, डोलो और मेफ्टल स्पास जैसे 300 सामान्य दवा ब्रांडों पर बार कोड या क्यूआर कोड के सख्त कार्यान्वयन के लिए चलाई जा रही है। बता दें कि पिछले सप्ताह आयोजित ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) की बैठक के दौरान टीकों, कैंसर दवाओं और एंटीबायोटिक दवाओं पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करने पर चर्चा की गई थी। इस पहल को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है। एक अधिकारी ने बताया कि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष दवा नियामक ने अनुसूची एच1 सहित मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है।

नकली कॉस्मेटिक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, सामान जब्त

सूरत (गुजरात): प्राप्त समाचार के अनुसार नकली कॉस्मेटिक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। एफडीसीए ने मोटा वराछा में स्मित एंटरप्राइजेज द्वारा संचालित एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री पर छापा मारा और 24 लाख का नकली कॉस्मेटिक सामान जब्त किया है। जांच में सामने आया कि यूनिट ने बिना अनुमति के दूसरी कंपनी का नाम, पता और लाइसेंस नंबर इस्तेमाल किया।

सूरत, भरूच और वलसाड के अधिकारियों ने मोटा वराछा में स्मित एंटरप्राइजेज द्वारा संचालित एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री पर छापा मारा। गुजरात खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (एफडीसीए) ने सूरत में बिना लाइसेंस के कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 24.30 लाख रुपये के नकली कॉस्मेटिक्स जब्त किए। एफडीसीए आयुक्त डॉ. एचजी कोशिया के अनुसार उत्पादों के 9 सैंपल लेकर प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। यह छापेमारी सूरत, भरूच और वलसाड के अधिकारियों ने मोटा वराछा में स्मित एंटरप्राइजेज द्वारा संचालित कॉस्मेटिक फैक्ट्री पर की। स्मित एंटरप्राइजेज के मालिक हिम्मत वडालिया को गिरफ्तार कर लिया और 4.30 लाख रुपये मूल्य के उत्पाद जब्त कर लिए गए। मौके से चार सैंपल लेकर वडोदरा प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। दूसरे मामले में, टीम ने सूरत के पूनागाम स्थित सीके कॉरपोरेशन में विभिन्न ब्रांड के लेबल वाले भारी मात्रा में कॉस्मेटिक उत्पाद बरामद किए। आरोपी ने प्रीशील लेबोरेटरी, वडोदरा के नाम, पते और लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल कर कॉस्मेटिक्स का निर्माण किया और अवैध रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्हें बेचा।

डॉक्टर पर मरीज को दवा बेचने का केस नही कर सकते : हाईकोर्ट

नागपुर: प्राप्त समाचार के अनुसार डॉक्टर के खिलाफ मरीज को दवा बेचने के केस को हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। डॉ. प्रशांत टिपले के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया गया गया था और विशेष न्यायाधीश ने डॉक्टर को दोषी भी करार दिया था। आरोपी डॉक्टर ने इस केस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के आदेश को कैंसिल की दिया।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा : हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मरीज को दवा बेचने के लिए डॉक्टर पर केस नहीं चलाया जा सकता। लाइसेंस के बिना डॉक्टर द्वारा मरीजों को दवा बेचने की सूचना मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। याचिकाकर्ता एक मनोचिकित्सक है। दवा बेचने की सूचना पर दवा निरीक्षक ने उनके क्लीनिक पर एक डमी मरीज को भेजा। डॉक्टर ने मरीज की जांच कर दवाइयां लिखीं और बिल के तहत उसके पास उपलब्ध दवाइयां बेचीं।

सरकारी पक्ष के अनुसार मामला यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा मरीज को दवाइयों का स्टॉक और बिक्री के अधिनियम की धारा 18 (सी) के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके लिए विशेष न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई और याचिकाकर्ता के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया। याचिकाकर्ता एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है। धारा 18(सी) यह 1040 के अधिनियम के अध्याय 4 का एक हिस्सा भर है। औषधि नियम 1945 के अनुसार विशेष रूप से नियम 123 के अनुसार अनुसूचित में निर्दिष्ट औषधियों को इसमें छूट दी गई है। आरोपी डॉक्टर ने इस केस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के आदेश को कैंसिल की दिया। विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार, दवा मानक गुणवत्ता की थी अर्थात नकली दवा नहीं थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने डाक्टर के पक्ष में फैसला सुनाया है।

REALNOVA HEALTHCARE
(AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY)
MORE THEN 500+ Products RANGE
Your Enquires are Welcome For PCD/Franchise & Third Party Manufacturing
WITH THE WIDE RANGE OF
TABLETS | SOFT GELATIN CAPS | PAEDIATRIC | EYE/EAR DROPS
OINTMENT/SOAP | PROTEIN POWDER | CARDIAC/DIABETIC | INJECTABLES
OZENIUS® PHARMACEUTICALS | Realved | EYESUKUN CARE | Cadinor
Contact no:- +917009737900, +917495006399
realnovahealthcare@gmail.com
www.realnova.in
ozeniuspharma@gmail.com
www.ozeniuspharma.com

फार्मा कम्पनियों ने विनिर्माण प्रथाओं पर संशोधित मानदंडों को लागू करने के लिए और समय मांगा

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार भारत के दवा उद्योग ने अनुसूची एम के तहत संशोधित फार्मा विनिर्माण नियमों को लागू करने के लिए कम से कम दो और साल मांगे हैं, उनका कहना है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का अस्तित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची एम दवा उत्पादों के लिए अच्छे विनिर्माण अभ्यास (जीएमपी) निर्धारित करती है, जैसे कि दोषपूर्ण या संदिग्ध उत्पादों के लिए त्वरित उत्पाद वापसी प्रणाली। फार्मा लॉबी समूहों ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर दिसंबर 2024 की समय सीमा को दिसंबर 2026 तक बढ़ाने की मांग की है, जिसमें संशोधित मानदंडों को लागू करने में उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों और संसाधनों की कमी का हवाला दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस साल जनवरी में संशोधित अनुसूची एम को अधिसूचित किया था। आरएसएस से संबद्ध लघु उद्योग भारती (एलयूबी) और एमएसएमई फार्मा इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स (एफओपीई) ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अनुसूची एम के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अनुरोध किया है। लघु उद्योग भारती ने नड्डा को लिखे अपने पत्र में कहा, दिसंबर 2024 से प्रभावी इसका कार्यान्वयन एमएसएमई फार्मा इकाइयों के लिए बहुत जल्दी होगा। इसने कहा कि इन इकाइयों को विशेष रूप से तब अधिक समय की आवश्यकता होती है जब उत्पादन चल रहा हो। पत्र में कहा गया है, इसलिए, इस तरह के उन्नयन के लिए एक वर्ष की समय अवधि पर्याप्त नहीं है। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि भी जल्द ही मंत्री से मिलेंगे और संशोधित मानदंडों पर अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे। लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय प्रमुख-फार्मा और हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि एमएसएमई फार्मा उद्योग के मालिकों पर शेड्यूल एम प्रावधानों के अनुसार अपनी मौजूदा इकाइयों को अपग्रेड करने के लिए 4 से 10 करोड़ रुपये का निवेश करने का दबाव है।

RISO FOOD & NUTRACEUTICALS
Manufacturers of Quality Nutraceutical & Ayurvedic Products
Wide range of Syrups, Tablets, Capsules, Sachets, Energy Powders, Oils, Protein Powders and Effervescent Tablets Available
For Manufacturing Related Queries
Call 99960 20790
All types of
Third party Manufacturing Enquiries
Own Brand Manufacturing Enquires
Bulk Manufacturing Enquires
Welcome
RISO FOOD & NUTRACEUTICALS
(A Unit of Kim Laboratories Pvt. Ltd.)
Plot No. 28, HSIIDC Phase 1, Saha, Ambala 133 104 (Haryana), India
www.risonutraceuticals.com

ठेले की आड़ में दवा की बिक्री, युवक दबोचा

जशपुर (छत्तीसगढ़): नशीली दवा की चाट ठेले की आड़ में बिक्री करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र का है। बदमाश यहां एक स्कूल के सामने के सामने यह अवैध धंधा कर रहा था। कुनकुरी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दिवाकर ताम्रकार नामक युवक तपकरा रोड स्थित कन्या स्कूल के पास चाट ठेला लगाता है। वह अपने ठेले की आड़ में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट भी बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी युवक के कब्जे से 144 स्पॉज्मो पॉक्सीवान टेबलेट जब्त की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये गोलियां यहां बेचने के लिए रखी गई हैं। कई युवक उसके पास इन्हें खरीदने के लिए आते हैं। पुलिस ने दिवाकर ताम्रकार को गिरफ्तार कर धारा 22(बी) के तहत कार्रवाई की और आरोपी को कोर्ट में पेश किया।

ये रहे टीम में शामिल : इसकार्रवाई में उप निरीक्षक सुनील सिंह, औषधि निरीक्षक योगेश परस्ते, एएसआई ईश्वर प्रसाद वारले, प्रधान आरक्षक चंपा पैंकरा, आरक्षक नंदलाल यादव शामिल रहे।

अस्पताल में रेड, शराब पार्टी करते दो गिरफ्तार, डॉक्टर फरार

बक्सर (बिहार): अस्पताल में छापेमारी कर पुलिस ने शराब पार्टी करते दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। जबकि मौके से एक डॉक्टर व अन्य कर्मी फरार होने में कामयाब हो गए। मौके से 13 बोतल शराब भी जब्त की गई हैं। शराबबंदी के बावजूद बक्सर क्षेत्र में शराबखेरी खुलेआम चल रही है। ताजा मामले में शहर के बीच स्थित शील हॉस्पिटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। मौके पर कर्मचारियों को शराब पार्टी करते हुए पकड़ा गया। हालांकि रेड के दौरान हॉस्पिटल का संच. ालक डॉ. सुनील सिंह अपने कई साथियों के साथ फरार हो गया। कमरों में ब्रांडेड शराब की कई बोतल रखी गई थी। पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया और हॉस्पिटल संच. ालक डॉ. सुनील सिंह की तलाश में जुटी है। अस्पताल के एक कर्मी ने बताया कि शील हॉस्पिटल में कई तरह के अनैतिक कार्य हर रात होते हैं। एसपी मनीष कुमार ने बताया गया कि जिस टेबल पर शराब की पार्टी चल रही थी, वहां शराब की 7 खाली बोतलें तथा एक बैग में रखी महंगी शराब की 6 बोतलों के अलावा फ्रूटी का रैपर एवं खाली डब्बा भी पुलिस ने बरामद किया है।

ALWAISWIN Pharma India Pvt Ltd
Deals In:- Herbal, Food, Neutraceuticals Syrup, Injectables, Softgel
Our Company registered Products:
Almonx 500 | Orthogard- BP | Alrabe-DSR | Nerviwin-M
Almonx Cv625 | Orthogard- NP | Alvit-Grow 16G | Nerviwin150
Almonx LB | Orthogard- MR | Alvit- Active12G | Nerviwin GB
Almonx 250 | Orthogard Gel | Alvicof-dx | Nerviwin 300
Call Us:-9815003544,7784849000
Franchise Available For Vacant States
Attractive Packings | Third Party Enquiry Also Welcome | Best Quality Products
Head Office:-18-f-Big B Complex Rotary Chowk Baddi (H.P)
G.Mail:- alwaiswinpharma@gmail.com
Our web:-alwaiswinpharma.com

फेंसेडिल समेत अवैध नशीली दवाओं की भारी खेप पकड़ी, तस्कर फरार

नदिया (दक्षिण बंगाल): फेंसेडिल समेत अवैध नशीली दवाओं की सीमा पर भारी खेप पकड़ी गई है। आरोपी तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। यह कार्रवाई दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अंतर्गत सीमा चौकी रंगघाट, 68 वीं बटालियन के सैनिकों ने की। बरामद नशीली दवाओं में 400 पीस मेनोट्रिपिन इंजेक्शन, 500 पीस सेट्रोरेलिक्स एसीटेट इंजेक्शन, 300 पीस यूरोफोलिट्रोपिन इंजेक्शन, 10 पैकेट क्लियर प्रोब और 2 पैकेट जब्त किए। उनकी जिम्मेदारी के क्षेत्र से 100 बोतल फेंसेडिल के साथ चिलपैक नमक दवाएं शामिल हैं। जब्त दवाओं की कुल कीमत 22,69,498 रूपये आंकी गई है।

बीएसएफ को नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर सीमा चौकी रणघाट के जवानों ने दो-तीन युवकों के वहां टहलते देखा। बीएसएफ जवानों को देखकर वे डर गए और ऊंची झाडियों का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। भागते समय तस्करों ने दो बोरियां वहीं फेंक दीं। जवानों ने मौके से बोरियां बरामद की। बोरियों की तलाशी में 400 पीस मेनोट्रिपिन इंजेक्शन, 500 पीस सेट्रोरेलिक्स एसीटेट इंजेक्शन, 300 पीस यूरोफोलिट्रोपिन इंजेक्शन, 10 पैकेट क्लियर प्रोब और 2 पैकेट चिलपैक साल्ट दवा के साथ 100 बोतल फेंसेडिल मिली। जब्त दवाओं की कुल कीमत 22,69,498 रूपये आंकी गई है। इन्हें जब्त कर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन बगदाह को सौंप दिया गया। बीएसएफ, दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के प्रवक्ता डीआइजी एके आर्य ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ अपने क्षेत्र से तस्करी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

सिरप की 250 बोतल समेत 2 अरेस्ट

कठुआ: प्राप्त समाचारके अनुसार नशीली दवा की बस के जरिए तस्करी का मामला पकड़ में आया है। पुलिस ने कोडिनयुक्त सिरप की 250 बोतल बरामद कर 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बस संख्या बीआर31पीबी-2611 दिल्ली से कठुआ की ओर आ रही है और उसमें भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप है। सूचना के तहत पुलिस स्टेशन लखनपुर की एक टीम ने गोल्डन गेट लखनपुर क्षेत्र में एक विशेष नाका लगाया। टीम ने एक बस को जांच के लिए रोका, जिसे पूरन सिंह निवासी भावीगाम अलीगढ़, यूपी नामक व्यक्ति चला रहा था। उसका एक सहयोगी धर्मेंद्र सिंह निवासी गाजियाबाद यूपी भी उसके साथ था। तलाशी के दौरान उनके अवैध कब्जे से 100 मिलीलीटर की 250 बोतलें कोडीन फॉस्फेट युक्त नशीली दवाओं की खेप बरामद की गई। इसके चलते दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उनके वाहन को भी जब्त कर लिया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना लखनपुर में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाज मामले की जांच की जा रही है।

डॉ. कामाक्षी मेमोरियल अस्पताल ने पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए परिणाम सहायता समूह शुरू

चेन्नई: प्राप्त समाचार के अनुसार डॉ. कामाक्षी मेमोरियल अस्पताल ने परिणाम सहायता समूह की शुरुआत की घोषणा की, जो पार्किंसंस रोग (पीडी) से पीड़ित रोगियों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक व्यापक पहल है। पीडी को अक्सर इसके मोटर लक्षणों के लिए पहचाना जाता है, जैसे कि कंपन, डिस्केनेसिया, चलने और संतुलन के साथ समस्याएं, निगलने में कठिनाई और भाषण विकार। हालाकि, यह समझना आवश्यक है कि पार्किंसंस में गैर-मोटर लक्षण भी शामिल हैं, जिसमें संज्ञानात्मक मुद्दे, व्यवहार संबंधी असामान्यताएं, मतिभ्रम, नींद की गड़बड़ी, चिंता और अवसाद शामिल हैं। इन विविध लक्षणों के लिए उपचार के लिए एक बहुक्रियात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें औषधीय और गैर-औषधीय दोनों प्रकार के उपचार शामिल होते हैं।

डॉ. कामाक्षी मेमोरियल अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग की प्रमुख डॉ. पार्वती कहती हैं, मोटर लक्षणों के प्रबंधन के लिए दवाओं का अनुमापन महत्वपूर्ण है, लेकिन फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक चिकित्सा की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। व्यापक सहायता प्रणाली के साथ गैर-मोटर लक्षणों को संबोधित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पार्किंसंस रोगियों की जटिल आवश्यकताओं के जवाब में, अस्पताल ने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राजेश्वरी, डॉ. प्रवीण चंदर और डॉ. अनिरबन के मार्गदर्शन में सहायता समूह की स्थापना की है। सहायता समूह का प्राथमिक लक्ष्य बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से पार्किंसंस रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

समूह रोगियों को अपनी भावनाओं, अनुभवों और चुनौतियों को साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे अलगाव और अवसाद की भावना कम होगी। उपचार विकल्पों, प्रबंधन रणनीतियों और जीवनशैली समायोजन सहित पार्किंसंस रोग पर नवीनतम जानकारी प्रदान करें। समान चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के बीच संबंधों को सुगम बनाना, समुदाय की भावना और साझा समझ को बढ़ावा देना। मरीजों को उनकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्यप्रणाली को बनाए रखने या सुधारने में मदद करने के लिए कार्यशालाएं और गतिविधियाँ आयोजित करें, जिससे उनकी स्वतंत्रता बढ़े। पीडी को अक्सर इसके मोटर लक्षणों के लिए पहचाना जाता है, जैसे कि कंपन, डिस्केनेसिया, चलने और संतुलन के साथ समस्याएं, निगलने में कठिनाई और भाषण विकार। देखभाल करने वालों को मार्गदर्शन और राहत प्रदान करें, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करें और देखभाल की मांगो से निपटने में उनकी मदद करें।

ALSO AVAILABLE VETERINARY PRODUCT
AdHyA Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
A Symbol of Excellence in Health Care To Serve Quality Medicines.
Excise Free Zone
Beta & Non Beta
Alu Alu Pack Available
A Wide Range of Syrups, Tablets Capsules, Dry Syrup
Come Join Hands with us:
• Bulk order manufacturing.
• Loan licence arrangement.
• Third party/marketed by arrangement.
• For sole marketing rights for unrepresentated areas.
Interested parties may contact :
KULDEEP SINGH
Mob. : 09927034515, 9837034518
AdHyA Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
Believe in Quality & Service
197, Raipur, Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar (U.K.)
E-mail : adhyapharmaceuticals@gmail.com
adhyaprinting@gmail.com

Contract Research manufacturer
In Quality and state of Art sections of-
AYURVEDIC AYUSH MARK PRODUCTS
TABLET | CAPSULES | OIL | BHASMA | SYRUP
COSMECEUTICALS
SERUM | PSORIASIS | VITILIGO | SKIN CARE | HAIR CARE
ALLOPATHIC
TABLET | CAPSULE | OINTMENT
NUTRACEUTICALS
Rajani Healthcare Products
Office Address: Purva Complex, Sadashiv Peth Pune 411 030, Maharashtra India
Plant: E-18/1, Jejuri MIDC Tel: Purander Dist: Pune Maharashtra India 412 303, www.rajanipharma.com
pharma789@gmail.com, export.rhcp@gmail.com, info@rajanipharma.com, business@rajanipharma.com
+91 20 24471007 +91 20 24473132 +91 9823096996 +91 8793340533 +91 9168316618 +91 9604639665

पारस हेल्थ ने घर-घर पारस अभियान शुरू किया

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार पारस हेल्थ ने आपातकालीन देखभाल सेवाओं और ट्रॉमा केयर के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए घर-घर पारस अभियान शुरू किया है, साथ ही समुदाय में सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा दिया है। आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अपने अस्पतालों में संबंधित अस्पतालों के शहरों में नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रहा है। संगठन के अनुसार, यह कदम गंभीर देखभाल प्राप्त करने में संभावित बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, अभियान स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के सुसज्जित ट्रॉमा केयर सेंटरों का लाभ उठाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नागरिकों को गंभीर परिस्थितियों के दौरान विशेष देखभाल तक तत्काल पहुंच प्राप्त हो। सड़क यातायात दुर्घटनाएं भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या के रूप में रैंक करती हैं, जो पिछले दशक (2009-2019) में मृत्यु और विकलांगता का कारण बनने वाली सभी स्वास्थ्य समस्याओं में 13वें स्थान पर है। हालांकि यह एक चिंता. जनक राष्ट्रीय तस्वीर पेश करता है, लेकिन हाल के आँकड़े एक बिगड़ती प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। अकेले 2022 में, आधिकारिक रिपोर्टों ने चौंका देने वाली 461,312 सड़क दुर्घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया। इन दुर्घटनाओं ने दुखद रूप से 168,491 लोगों की जान ले ली और अतिरिक्त 443,366 लोगों को घायल कर दिया। 2021 की तुलना में, ये संख्याएं एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती हैं: दुर्घटनाओं के लिए 11.9 प्रतिशत, मौतों के लिए 9.4 प्रतिशत और चोटों में चिंताजनक 15.3 प्रतिशत की वृद्धि। गुड़गांव में, इस पहल में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग किया गया है। सड़क सुरक्षा प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आकर्षक नुक्कड़ नाटक, स्कूलों में टॉक शो और आपात स्थिति के दौरान चिकित्सा देखभाल के महत्व को प्रदर्शित करने वाले रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य नागरिकों को दुर्घटना रोकथाम उपायों और जिम्मेदार ड्राइविंग व्यवहार के बारे में शिक्षित करना है। उदयपुर, पंचकूला, श्रीनगर, रांची, पटना और दरभंगा सहित पारस अस्पताल के अन्य स्थानों के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ इसी तरह के सहयोग की योजना बनाई गई है। अभियान की पहुंच को और समृद्ध करते हुए, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अपने अस्पताल नेटवर्क में झुग्गी-झोपड़ियों और अनाथालयों सहित वंचित समुदायों में प्राथमिक चिकित्सा किट वितरित करेगा।

बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने ममता की हड़ताल खत्म करने की अपील ठुकराई

कोलकाता: प्राप्त समाचार के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में काम बंद रखने वाले आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की काम पर लौटने की अपील को खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम के एक सदस्य ने कहा कि जब तक आरजी कर अस्पताल के मृतक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के लिए न्याय जैसी उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे आंदोलन वापस नहीं लेंगे। उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को स्वास्थ्य सेवाओं से निलंबित करने और कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ भी यही कार्यवाही करने की मांग की। डॉक्टरों के फोरम ने अपनी मांगों को लेकर कोलकाता के उत्तरी हिस्से में श्यामबाजार इलाके में एक रैली निकाली। फोरम के सदस्य ने कहा, हमें यह जानकर खुशी हुई कि मुख्यमंत्री हमारे मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। हम काम पर लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद द्वारा आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा, मैं शुरू से ही डॉक्टरों के मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखती रही हूं, क्योंकि वे अपने साथी के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि घटना को इतने दिन बीत चुके हैं। हम आपका दर्द समझते हैं। लेकिन कृपया अब काम पर वापस आ जाएं, क्योंकि मरीज परेशान हैं। आंदोलनकारी चिकित्सकों ने कॉलेजों में चुनाव, चिकित्सा सुविधाओं की सभी निर्णय लेने वाली समितियों में जूनियर डॉक्टरों और छात्रों की भागीदारी और कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपायों की मांग की। मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में संपन्न हुई रैली के दौरान, जूनियर डॉक्टरों ने तख्तियां और पोस्टर ले रखे थे और मृतक चिकित्सक के लिए न्याय की मांग उठाई। डॉक्टरों की यह रैली भाजपा द्वारा अपंजीकृत छात्र संगठन पश्चिमबंग छात्र समाज द्वारा श्नबान्न अभिजान के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुलाए गए 12 घंटे के बंद के साथ हुई। 9 अगस्त को पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल से महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर का शव बरामद किया।

कफ सिरप खरीदने के लिए कैमिस्ट को दर्ज करवाना होगा मोबाइल नंबर

सोलन: प्राप्त समाचार के अनुसार कफ सिरप खरीदने के लिए अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवाया होगा। स्वास्थ्य विभाग ने दवा विक्रेताओं को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। दवा खरीदने वाले का डाटा विक्रेता स्वास्थ्य विभाग को देंगे। इसके बाद विभाग की टीम सिरप खरीदने वाले व्यक्ति को कॉल कर सच्चाई जानेगा। स्वास्थ्य विभाग ने दवा विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि वे कफ सिरप खरीदने वाले का डाटा जरूर नोट करें। यह नंबर विक्रेता स्वास्थ्य विभाग को देंगे। इसके बाद विभाग की टीम सिरप खरीदने वाले व्यक्ति को कॉल करेगी और व्यक्ति से पूछेगी कि उसको खांसी कब से है। इसके साथ दूसरी जानकारी भी ली जाएगी। विभाग की टीम संदेह होने पर व्यक्ति के बलगम की जांच भी करवाएगी।

क्षय रोग उन्मूलन की कवायद : खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक दवा विक्रेता सिरप खरीदने वालों से डाटा लेंगे। क्षय रोग उन्मूलन को लेकर विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है। इससे पहले दवा विक्रेता संदिग्ध मरीजों को बलगम जांच के लिए टेस्ट किट उपलब्ध करवाते थे। साथ ही बताते थे कि किस प्रकार से बलगम सैंपल जांच केंद्र तक पहुंचाना है। अब विभाग ने दवा विक्रेताओं के साथ मिलकर एक और पहल की है। इससे टीबी की रोकथाम में मदद मिलेगी। विभाग का प्रदेश को क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि सरकार ने इस वर्ष के अंत तक प्रदेश को क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्रति के लिए स्वास्थ्य महकमा खंड स्तर तक काम कर रहा है। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्करों की भी इसमें मदद ली जा रही है।

टीबी रोकथाम पर जोर : जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्वास्थ्य) डॉ. एके सिंह अब टीबी की रोकथाम करने के लिए विभाग प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाएगा। इसके लिए दवा विक्रेताओं की सहायता भी जी ला रही है। दवा विक्रेता को यदि कफ सिरप लेने वाला व्यक्ति नंबर नहीं देगा तो उसे दवा भी नहीं दी जाएगी।

दून अस्पताल में जोड़ प्रतिस्थापन सर्जरी के लिए रोबोट की सेवाएं ली

देहरादून: प्राप्त समाचार के अनुसार देहरादून के एक निजी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल ने संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जरी के लिए रोबोटिक तकनीक शुरू की है, जो अधिक सटीकता और सटीकता प्रदान करती है। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ने कहा कि नई प्रणाली प्राकृतिक हड्डी को संरक्षित करने, रक्त की हानि को कम करने और अच्छी तरह से संतुलित जोड़ों को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। रोबोटिक प्रणाली सर्जनों को सर्जरी की पूर्व-योजना बनाने, रोगी की स्थिति का आकलन करने और गति की पूरी सीमा में संयुक्त स्थिरता की भविष्यवाणी करने की अनुमति देती है, जिससे प्रत्यारोपण के गलत संरेखण का जोखिम कम हो जाता है। अस्पताल के अधिकारियों ने पारंपरिक तरीकों की तुलना में रोबोटिक सर्जरी के लाभों पर प्रकाश डाला, जिसमें कम चीरे, बेहतर परिणाम, तेजी से रिकवरी और कम समय में स्वास्थ्य लाभ शामिल हैं। अस्पताल में ऑपरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और यूनिट हेड डॉ. संदीप सिंह तंवर ने कहा, इस उन्नत तकनीक के साथ, सर्जन उच्च-रिजॉल्यूशन 3 डी विजन सिस्टम का उपयोग करके कुछ चीरों के माध्यम से ऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे उन्हें प्राकृतिक रंगों में शारीरिक संरचनाओं को देखने की अनुमति मिलती है।

अवैध प्राइवेट हॉस्पिटल में मिली सरकारी दवाएं

समस्तीपुर अवैध प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी सप्लाई वाली दवाएं बरामद हुई हैं। इसके चलते अस्पताल को सील कर दिया है और हॉस्पिटल संचालक समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर चकमेहसी थाना क्षेत्र के सैदपुर में स्थित पूसा सेवा सदन के नाम से संचालित निजी अस्पताल पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की जाने वाली दवा व जांच किट बरामद की गई। इस बारे में औषधि नियंत्रक शंभू ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्स विभाग की टीम ने उक्त निजी अस्पताल में छापेमारी की, जिसमें 390 वायल दवा व एचआईवी जांच किट जब्त की गई। उन्होंने बताया कि यह जांच किट बाजार में काफी महंगा बिकती है। इस संबंध में निजी अस्पताल के संचालक से पूछा गया है कि उसे यह जांच किट व दवाएं किससे मिली। उन्होंने आशंका जतायी कि उक्त दवा किसी सरकारी अस्पताल के कर्मी के माध्यम से ही निजी अस्पताल में पहुंची है। इस मामले की जांच करायी जाएगी। औषधि अधिकारी ने बताया कि उक्त अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं पाया गया। वहां डॉक्टर के नाम के बोर्ड लगे थे, लेकिन मौके पर एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं मिला। इसके चलते अस्पताल को सील कर दिया है और संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवा दी गई है।

अस्पतालों में सभी ब्लाइंड स्पॉट पर सीसीटीवी सुनिश्चित करें: केंद्र ने राज्यों से कहा

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने बुधवार को सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन अस्पतालों में ज्यादा मरीज आते हैं, वहाँ ब्लाइंड स्पॉट पर CCTV कैमरे हों। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और DGP के साथ वर्चुअल मीटिंग में मोहन ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को एकीकृत करने, पहुँच नियंत्रण और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के बारे में नए कानूनों को साझा करने का आह्वान किया, ताकि कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) की रिपोर्ट आने तक न्यूनतम उपाय किए जा सकें। बैठक की सह-अध्यक्षता करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने राज्य के अधिकारियों से जिला कलेक्टर और कैच और स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन के साथ मिलकर मौजूदा बुनियादी ढाँचे और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी कमी की समीक्षा करने और सुधारात्मक उपाय करने को कहा। चंद्रा ने सभी नियुक्त सुरक्षा और अन्य सेवाओं के कर्मचारियों की नियमित आधार पर सुरक्षा जाँच करने और विशेष रूप से बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का आह्वान किया, जिसमें कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर हो जो नियमित रूप से CCTV की निगरानी करें और डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करें। उन्होंने कहा कि सभी अस्पताल/मेडिकल कॉलेज परिसरों में रात्रि के समय नियमित सुरक्षा गश्त की जानी चाहिए। यह बैठक 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोजित की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनटीएफ की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुछ बुनियादी न्यूनतम उपाय लागू कर दिए जाएं। बैठक में, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने उनके द्वारा उठाए गए कुछ तात्कालिक और अल्पकालिक उपायों को सूचीबद्ध किया।

दवा बाजार में पुलिस की रेड, एक दवा व्यापारी को लाई थी साथ

आगरा: दवा बाजार में दिल्ली की पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी की सूचना से दवा बाजार में हडकंप मच गया। दरअसल, पुलिस एक दवा व्यापारी को मुबारक महल स्थित दवा बाजार में अपने साथ लाई थी। आरोपी दवा व्यापारी पूर्व में नशीली दवा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, नशे की दवा के कारोबार में और भी कर्द दुकानदारों के नाम सामने आए हैं। इनकी पड़ताल की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने करीब एक महीने पहले नारकोटिक्स के मामले में दो भाइयों को मुबारक महल स्थित मार्केट से गिरफ्तार किया था। तब दिल्ली में एक हॉकर ने नशे की दवाओं की बिक्री की थी। पुलिस ने हॉकर को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में आगरा के कारोबारियों के नाम सामने आए थे। इसके चलते दिल्ली पुलिस टीम ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने एक आरोपी को जेल से कस्टडी रिमांड पर लिया। उसे अपने साथ लेकर पुलिस टीम आगरा पहुंची और मुबारक महल स्थित आरोपी व्यापारी की दुकान पर गई। छानबीन करने के बाद थाने पर ले आई। आरोपी व्यापारी ने पूछताछ के दौरान कई और लोगों के नाम बताए हैं। थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि नशे की दवाओं के मामले टीम जांच करने आई है। अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पूर्व में शिव कृपा फार्मा पर डमी ग्राहक बनकर पुलिस टीम पहंची थी।

एफडीसी दवा पर प्रतिबंध के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची फार्मा कंपनियां

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार एफडीसी दवा पर प्रतिबंध के विरोध में फार्मा कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। अल्केम लेबोरेटरीज और एंटोड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी फार्मा कंपनियों और अन्य ने न्यायालय से मांग की है कि 156 निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार की हालिया अधिसूचना को कैंसिल कर दिया जाए।

अंतरिम राहत के लिए भी दबाव : एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार की अधिसूचना को कैंसिल करने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में केस दर्ज करवाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष संक्षिप्त सुनवाई के लिए उठाए गए मामले में दवा कंपनियों ने अंतरिम राहत के लिए भी दबाव डाला। कोर्ट से मांग की गई कि अधिसूचना लागू होने से पहले बनी हुई और अब प्रतिबंधित दवाओं का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध हो और वर्तमान में स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं के पास उपलब्ध है, उसे समाप्त होने की अनुमति दी जाए। फार्मा कंपनियों ने अपनी याचिका में अंतरिम राहत की भी मांग की है। स्टॉक खत्म होने तक स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। फार्मा कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कहा कि अब प्रति. बंधित दवाओं को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी और वे कुछ समय से बाजार में हैं। एसीजे मनमोहन ने भी मौखिक रूप से टिप्पणी की कि मौजूदा स्टॉक समाप्त हो जाना चाहिए। हालांकि, पीठ ने सरकार को निर्देश के साथ वापस आने के लिए 2 सितंबर तक का समय दिया है।

गोवा मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया

पणजी: प्राप्त समाचार के अनुसार गोवा मेडिकल कॉलेज ने कॉलेज में चिकित्सा पेशेवरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स की अध्यक्षता गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन प्रोफेसर एसएन बांदेकर करेंगे जबकि विभिन्न विभागों के प्रमुख और निदेशक टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक को टास्क फोर्स का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। डीन के कार्यालय से आधिकारिक आदेश में कहा गया है, गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चिकित्सा पेशेवरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करते हुए प्रसन्न हैं। यह घटनाक्रम आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश फैलने के बीच हुआ है।

इस बीच, भाजपा ने 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने नबन्ना अभियान रैली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज, पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसका उद्देश्य कोलकाता में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हाल ही में हुए बलात्कार और हत्या का विरोध करना था, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के 12 घंटे के बंगाल बंद की निंदा की और इसे बंगाल को बदनाम करने का प्रयास बताया। ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला तब किया जब भाजपा ने नबन्ना अभिजन हिंसा के बाद 12 घंटे का श्बंगाल बंद विरोध प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी सरकार आरजी कर अस्पताल और कॉलेज की घटना के पीड़ितों के लिए न्याय चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा, हमने इस दिन को आरजी कर डॉक्टर को समर्पित किया है। हम न्याय चाहते हैं लेकिन भाजपा ने आज बंद का आह्वान किया है। वे न्याय नहीं चाहते, वे केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे बंद की आलोचना की और नबन्ना अभिजन रैली के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हम इस बंद का समर्थन नहीं करते हैं।

स्टाफ की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टर करेंगे इलाज

रांची: प्राप्त समाचार के अनुसार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने उन अस्पतालों में इलाज के लिए निजी डॉक्टरों की सेवाएं लेने का फैसला किया है, जहां विशेषज्ञों की कमी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक समारोह में 365 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है।

हमने इस संबंध में कई पहल की हैं और एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहे हैं, जिससे निवासियों को दूसरे राज्यों में इलाज कराने की जरूरत न पड़े। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए, खास तौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में, सरकार ने निजी डॉक्टरों को इन सुविधाओं में इलाज करने की अनुमति देने का फैसला किया है। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सीएम ने स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की सफाई, मरम्मत और रखरखाव में सुधार के उद्देश्य से हाल ही में शुरू की गई योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन उद्देश्यों के लिए 5 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आवंटित किया गया है। सोरेन ने कहा, सफाई और रखरखाव के उद्देश्य से उप-स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 2 लाख रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 5 लाख रुपये, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 10 लाख रुपये, उप-मंडल अस्पतालों के लिए 50 लाख रुपये और जिला अस्पतालों के लिए 75 लाख रुपये सालाना का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, सीएम ने जनशक्ति को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भर्ती प्रयासों का उल्लेख किया । सोरेन ने कहा, हजारों भर्तियां चल रही हैं, भले ही कुछ आलोचक रोजगार के मुद्दों पर सरकार को निशाना बनाना जारी रखते हैं, जाहिर तौर पर पार्टी का नाम लिए बिना भाजपा की आलोचना का जवाब देते हुए। 365 सीएचओ में से, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से ताल्लुक रखने वाले ट्रांसजेंडर अमीर महतो को भी सीएम से नियुक्ति पत्र मिला।

सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 50 लाख की दवा समेत दो गिरफ्तार

फुलवारी शरीफ (बिहार): प्राप्त समाचार के अनुसार नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने का मामला सामने आया है। मौके से नकली दवा समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने संपतचक के जकरिया पुल के पास फैक्ट्री में की। टीम ने मौके से करीब 50 लाख रुपये की नकली दवा और नशीला पदार्थ बरामद किया है। एक्साइज विभाग की टीम को नकली नशीली दवा बनाने की फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के तहत विभाग की टीम ने तीन दिनों तक रेकी की और इसके बाद फैक्ट्री में छापेमारी की। पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम दीपक कुमार गोदाम मैनेजर और ड्राइवर शंभु कुमार बताए गए हैं। जबकि गोदाम मालिक गिरीश कुमार फरार हो गया।

ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में गोरखधंधा : जांच में पता चला है कि फरार गोदाम मालिक गिरीश कुमार गया जिले के खिजरसराय का निवासी है। न्यू श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में यह गोरखधंधा चलाया जा रहा था। सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि मौके से करीब 50 लाख रुपये की नकली दवा और नशे के रूप में इस्तेमाल की जाने वालद्ग इंजेक्शन, टैबलेट आदि आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। इसमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोडिनयुक्त कफ सिरप है। भारी मात्रा में कोडीन का रैपर, ढक्कन और बोतल भी मिली है, जिससे पता चलता है कि यहां नकली कोडीन भी बनाया जा रहा था।

नशीली दवा इफेड्रिन/ स्यूडोएफेड्रिन जब्त कर दो को दबोचा

हैदराबाद: प्राप्त समाचर के अनुसार नशीली दवा इफेड्रिन/ स्यूडोएफेड्रिन बरामद करने का मामला प्रकाश में आया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने न्यूजीलैंड में 60 लाख रुपये मूल्य की इफेड्रिन दवा भेजने की कोशिश में दो व्यकियों को गिरफ्तार किया है। डीआरआई अधिकारियों के अनुसार उक्त पैकेज की गहन जांच करने पर दो वैक्यूम सीलबंद पारदर्शी पैकेट बरामद किए। दोनों पैकेट से पाउडर के रूप में एक सफेद पदार्थ बरामद किया गया और जब फील्ड टेस्ट किट से जांच की तो इफेड्रिन/स्यूडोएफेड्रिन पाए गए। बरामद ड्रग की बाजारी कीमत 60 लाख रुपये आंकी गई हैं। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि इफेड्रिन और स्यूडोएफेड्रिन को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत नियंत्रित पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पुलिस आरोपियों की पुछताछ के बाद उनके साथियों को पकड़ने में जुट गई है।

अरबिंदो, ग्लेनमार्क, एफडीसी ने विनिर्माण मुद्दों पर अमेरिकी बाजार से उत्पाद वापस मंगाए: यूएसएफडीए

नई दिल्ली: अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) के अनुसार, दवा निर्माता अरबिंदो फार्मा , ग्लेनमार्क और एफडीसी विनिर्माण मुद्दों के कारण अमेरिका में उत्पादों को वापस बुला रहे हैं। हैदराबाद स्थित दवा प्रमुख की एक इकाई अरबिंदो फार्मा यूएसए इंक दर्द निवारक दवा हेल्दी लिविंग एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन (एनएसएआईडी) और कैफीन की गोलियों की 240 बोतलें वापस बुला रही है। यूएसएफडीए की नवीनतम प्रवर्तन रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी लेबल गायब होने के कारण प्रभावित लॉट को वापस बुला रही है। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने कहा कि कुछ बोतलों में निर्माता का लेबल गायब है जिसमें दवा के तथ्यों की जानकारी शामिल है। न्यू जर्सी स्थित अरबिंदो फार्मा यूएसए इंक ने 11 जुलाई को क्लास 1 रिकॉल शुरू किया, इसने कहा। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक के अनुसार, क्लास रिकॉल दोषपूर्ण उत्पादों से संबंधित है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसी तरह, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की एक यूएस-आधारित सहायक कंपनी मध्य प्रदेश के एक संयंत्र में उत्पादित इंडोमेथेसिन एक्सटेंडेड-रिलीज कैप्सूल की 2,404 बोतलों को विघटन विनिर्देशों में विफलता के कारण वापस बुला रही है, यूएसएफडीए ने कहा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स इंक, यूएसए ने 31 जुलाई को क्लास II रिकॉल शुरू किया, उसने कहा। यूएसएफडीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र स्थित दवा निर्माता एफडीसी लिमिटेड दोषपूर्ण कंटेनर के कारण टिमोलोल मैलेट ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन यूएसपी की 1,76,784 बोतलों को वापस बुला रही है। रोगी बोतल से समाधान निकालने में असमर्थ हैं क्योंकि ढक्कन का स्पाइक उत्पाद की बोतल के नोजल में फंस गया है, उसने कहा। कंपनी ने इस साल 12 अगस्त को क्लास II रिकॉल शुरू किया था। USFDA के अनुसार, क्लास II रिकॉल उस स्थिति में शुरू किया जाता है, जिसमें उल्लंघनकारी उत्पाद के उपयोग या उसके संपर्क में आने से अस्थायी या चिकित्सकीय रूप से प्रतिवर्ती प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं या जहां गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों की संभावना बहुत कम है।

फर्जी डॉक्टर के क्लीनिक पर रेड, भारी मात्रा में दवाइयां जब्त की

रायपुर: प्राप्त समाचार के अनुसार फर्जी डॉक्टर के क्लीनिक पर छापेमारी की गई और बिना लाइसेंस के रखी भारी मात्रा में दवाइयां जब्त की गई हैं। यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला रायपुर की टीम ने आरंग के नरदहा में की। टीम ने क्लीनिक से 77 प्रकार की दवाइयां बरामद की हैं और टीम दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन को सूचनाएं मिल रही थी कि झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज गलत ढंग से किया जा रहा है। मरीजों के इलाज के नाम पर ये उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सूचना के तहत औषधि निरीक्षक टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई की। टीम ने आरंग ब्लॉक में स्थित नरदहा गांव में संचालित लाइफ केयर क्लीनिक का निरीक्षण किया, जिसे झोलाछाप डॉक्टर नीलकमल साहू संचालित कर रहा था। निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में 77 विभिन्न प्रकार की दवाइयां क्लीनिक से बरामद की। आरोपी ने बताया कि उक्त दवाइयों को रायपुर स्थित मेडिकल एजेंसियों से खरीदा गया है। मौके से खरीदी बिल, लेनदेन से संबंधित रजिस्टर, डायरी भी बरामद की हैं। उक्त दवाओं के क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने के कारण मौके पर बरामद दवाओं में से दो औषधियों के सैंपल लिए गए हैं। बरामद दवाइयों में 77 प्रकार की औषधियां जिसमें टीबी की दवाई पोटेंट एन्टिबायोटिक, स्टेरायड आदि शामिल हैं। इन दवाओं की बाजारी कीमत करीब 1.5 लाख रुपये बताई गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

टेबलेट्स से भरी पिकअप पकड़ी

नालागढ़, सोलन (हिमाचल प्रदेश): प्राप्त समाचार के अनुसार नशीली टेबलेट्स से भरी एक पिकअप पकड़ी जाने का मामला सामने आया है। यह कार्रवाई नालागढ़ पुलिस ने वोदला गांव में की। नशे की गोलियां यहां पर सप्लाई की जा रही थी। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नशे की खेप कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नालागढ़ पुलिस बोदला गांव में गश्त पर थी। गांव की पक्की सड़क के पास गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक पिकअप को रोककर तलाशी ली गई। पिकअप से डिफेनओक्सीलेट हाइड्रोक्लोराइड एंड एट्रोपाइन सल्फेट (लोमोटिल) की कुल 28,140 गोलियां बरामद हुईं। यह गोलियां नशे के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। पुलिस टीम ने नशा तस्करी के सरगना नालागढ़ के कालीबाड़ी के वीरचंद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

जाल बिछाकर किया पर्दाफाश : एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने बताया कि पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जाल बिछाया था। यह एक अंतरराज्यीय गिरोह है जो बीबीएन में नशे की सप्लाई में लगा है।

मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, अवैध दवाइयां जब्त

बिलासपुर: मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर अवैध रूप से बेची जा रही नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। आरोपी मिनाक्षी मेडिकल स्टोर संचालक खुशी चंद गुप्ता के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल स्टोर से ईस्पामैक्स कैप्सूल 304 नग, अल्ट्रा किंग ट्रामाडोल युक्त नशीली टेवलेट 360 नग, पाइवॉन स्पास प्लस कैप्सुल ट्रामाडोल युक्त 232 नग समेत बिक्री रकम 16500 रुपये बरामद की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि तारबहार क्षेत्र में गायत्री मंदिर चौक के पास स्थित मिनाक्षी मेडिकल स्टोर का संचालक खुशी चंद गुप्ता अपने स्टोर में अवैध रूप से नशीली दवाइयां बेचता है। पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली पूजा कुमार मैडम के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस टीम के साथ मिलकर मिनाक्षी मेडिकल स्टोर में दबिश दी। टीम ने आरोपी खुशी चंद गुप्ता के कब्जे से ईस्पामैक्स कैप्सूल 304 नग, अल्ट्रा किंगं ट्रामाडोल युक्त नशीली टेवलेट 360 नग, पाइवॉन स्पास प्लस कैप्सुल ट्रामाडोल युक्त 232 नग बिक्री रकम 16500 रूपये कुल कीमत 26052 रूपये जब्त कर लिए और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। छापेमारी टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, उप निरीक्षक संजीव कुमार ठाकुर, अवधेश सिंह, प्रभारी फूल सिंह बड्डे एवं आरक्षक मुरली भार्गव के अलावा रूपलाल चंद्रा, मोहन कोर्राम, राजेश नारंग, देवेंद्र दूबे,जीना अनंत शामिल रहे।

युवती नशीली दवा बेचती गिरफ्तार, महिला फरार

बिलासपुर: प्राप्त समाचार के अनुसार नशीली दवा बेचने आई युवती को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। जबकि, उसे नशीली दवा उपलब्ध कराने वाली महिला पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। गिरफ्तार की गई युवती सक्ती जिले की निवासी है। पुलिस उससे नशीली दवाओं के संबंध में पूछताछ में जुटी है। पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती मरीमाई मंदिर के पास नशीली दवाइयां बेचने के लिए ग्राहक के इंतजार में खड़ी थी। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर पूजा चौहान (25) नामक युवती को पकड़ लिया। युवती की स्कूटी की डिक्की से तलाशी में नशीली दवाइयां मिलीं। इन दवाओं को जब्त कर युवती को थाने ले जाया गया। कड़ाई से पूछताछ में युवती ने बताया कि देवरीखुर्द में रहने वाली युवती नेहा सोनकर ने उसे ये नशीली दवाइयां दी थी। उसने बताया कि नशीली दवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए नेहा सोनकर उसे कमीशन देती थी। पुलिस की टीम ने देवरीखुर्द में नेहा सोनकर के मकान में दबिश दी लेकिन इससे पहले ही महिला फरार हो गई थी। आसपास के लोगों ने बताया कि महिला दो दिनों से लापता है। पुलिस की टीम महिला की तलाश में जुटी है। उधर, पकड़ी गई युवती के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर कोर्ट में पेश कर उसे कारावास भेज दिया है।

नशीली दवा की तस्करी में नेपाल सीमा पर दो दंपती गिरफ्तार

रक्सौल: नशीली दवा की तस्करी के आरोप में भारत-नेपाल बॉर्डर पर दो दंपती गिरफ्तार किए गए हैं। भारत से नेपाल नशीली दवा ले जाते हुए नेपाल पुलिस और आर्ड पुलिस फोर्स ने दो भारतीय दंपती को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से प्रतिबंधित नशीली दवा जब्त कर ली है।

ट्रामा 50 नामक प्रतिबंधित दवा बरामद : पकड़े गए दंपती की पहचान पूर्वी चंपारण के सकराहा निवासी धुरेन्द्र राम और उसकी पत्नी मधु देवी के रूप में हुई है। दोनों को रक्सौल से बीरगंज जाने के दौरान शंकराचार्य गेट के पास बीरगंज कस्टम के पास जांच के दौरान पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 4505 पीस ट्रामा 50 नामक प्रतिबंधित दवा बरामद की गई। दूसरी ओर इनरवा चौकी के पास प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ दो महिला, पुरुष को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों रक्सौल से बीरगंज नशीली दवा लेकर जा रहे थे लेकिन जांच के दौरान पकड़े गए। डीएसपी दीपक भारती ने बताया कि आरोपियों के पास से 294 पीस नाइट्रो वेट 10 बरामद किया गया है। दोनों की पहचान नेपाल बारा जिला के कोल्हवी निवासी अनिल पौडेल और प्रेरणा पौडेल के रूप में हुई है। एक ही दिन में दो जगह नशीली दवा के साथ महिलाओं की गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। नेपाल से भारत आने-जाने वाले महिलाओं पर भी अब पुलिस विशेष निगरानी कर रही है।

Pravin Parakh
Mo. 8983898584
8983598584
M/s. Prem Agencies
PHARMACEUTICALS DISTRIBUTORS
Dr. Chatuphale Marg, Opp. Parag Plaza,
Shrirampur, Dist. A'nagar Ph (02422) 221307

ड्रग इंस्पेक्टर ने ली दवा दुकानदार से रिश्वत, रंगे हाथों गिरफ्तार

गुवाहाटी: ड्रग इंस्पेक्टर को एक मेडिकल स्टोर संचालक से चार हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय में एक शिकायत मिली थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि जोरहाट के औषधि निरीक्षक तेजेंद्र सैकिया ने शिकायतकर्ता से उसे बिना किसी व्यवधान के अपनी दवा दुकानें चलाने की अनुमति देने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। बाद में, उन्होंने रिश्वत की राशि घटाकर चार हजार रुपये कर दी थी। रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने निदेशालय की शरण ली है। शिकायत के अनुसार सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की एक टीम ने औषधि निरीक्षक जोरहाट के कार्यालय में जाल बिछाया। टीम ने औषधि निरीक्षक तेजेंद्र सैकिया को रिश्वत के रुपये लेते ही उनके कार्यालय में रंगे हाथों पकड़ लिया। शिकायतकर्ता से चार हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। रिश्वत की राशि उसके कब्जे से बरामद कर ली गई है और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जब्त कर लिया गया। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(ए) के तहत एसीबी थाना में मामला दर्ज किया गया है।

प्रतिबंधित दवा की तस्करी के दोषी को 10 साल कैद

सिरसा: प्राप्त समाचार के अनुसार प्रतिबंधित दवा की तस्करी के दोषी युवक को 10 साल कैद की सुजा सुनाई गई है। स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सिरसा यूनिट 2 फरवरी 2021 को जगमालवाली रोड पर गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को संदेह के आधार पर रोका। युवक ने बाइक पर एक प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ था। पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की 1200 गोलियां बरामद हुईं। इसके चलते पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक की पहचान अजीत सिंह उर्फ जीत पुत्र भोला राम निवासी जलालआना के रूप में हुई। पुलिस ने अजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने अजीत सिंह को 10 कैद की सजा सुनाई है।

ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर की रेड, दवाओं के सैंपल लिए

कानपुर: ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल दुकान पर छापेमारी कर प्रतिबंधित दवा बरामद की हैं। झींझक में दवा दुकान पर कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित दस बोतल ऑक्सीटोसिन बरामद की और एक सैंपल भी भरा है। इसके साथ ही दवाओं के दो सैंपल लिए गए हैं। दवा दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगा गया है और आगामी आदेश तक दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है।जिले में दवा दुकानों में प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक अजय कुमार संतोषी ने झींझक कस्बे के संदीप कुमार के मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान वहां प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन मिली। टीम ने सौ एमएल की 10 बोतल आक्सीटोसिन बिना लेबल की बरामद की। इसका एक सैंपल लेने के साथ बरामद ऑक्सीटोसिन को सीज कर दिया। मौके से दो और दवाओं के भी सैंपल लिए गए। औषधि निरीक्षक ने बताया कि लिए गए सैपलों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेजा जा रहा है। दवा दुकानदार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है और अगले आदेश तक मेडिकल स्टोर में दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

फार्मेसी कॉलेज के प्रबंधक को फर्जी डिप्लोमा जारी करने पर जेल भेजा

प्रतापगढ़: फार्मेसी कॉलेज के प्रबंधक को फर्जी डिप्लोमा जारी करने के आरोप में गिरफ्तार करने का मामला प्रकाश में आया है। संग्रामगढ़ के मनगढ़ में गेटवे कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर पैसे वसूलने और फर्जी डिग्रियां दे दी गई। मामला सामने आने पर पुलिस ने कालेज के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रबंधक के पास से भारी मात्रा में रसीदें व अन्य अभिलेख बरामद किए गए हैं और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि गेटवे कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल कॉलेज में फेल छात्रों को पास कराने, कम रुपये में कोर्स कराने, डिप्लोमा का झांसा देकर छात्रों को ठगा गया। फीस वसूली के बाद कॉलेज बंद कर वहां रिसॉर्ट बना दिया गया। छात्रों को फर्जी डिग्रियां थमा दी गई और हंगामा करने पर छात्रों के साथ मारपीट भी की गई। छात्र मुकेश की शिकायत पर संग्रामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जांच में आरोप सही मिले और फार्मेसी कॉलेज संचालक आशीष कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके फार्मेसी कॉलेज और सिटी ऑफिस से छात्रों के फर्जी आईकार्ड, फर्जी डिप्लोमा फार्मेसी की मार्कशीट, एडमीशन फीस पेमेंट स्लिप आदि सामान बरामद किया गया है। हैरानी की बात यह है कि कॉलेज का कहीं कोई अस्तित्व नहीं मिला। करीब 300 छात्रों से फीस वसूली की गई है। शिकायतें लगातार आ रही हैं। आरोपी के बैंक खाते में जमा 9.60 लाख रुपये फ्रीज करा दिए गए हैं।

कफ सिरप की 4,800 बोतलें जब्त, छह तस्कर गिरफ्तार

मुंबई: कफ सिरप की 4,800 बोतलें जब्त की गई हैं और छह तस्करों को भी अरेस्ट किया है। यह कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई जोनल यूनिट उल्हासनगर में 1.75 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध रूप से डायवर्टेड कोडीन सिरप की 4,800 बोतलें जब्त की हैं। एजेंसी ने गिरोह से कथित तौर पर जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया है और अपनी कार्रवाई के तहत उनके और साथियों की तलाश कर रही है। एनसीबी ने संदेह के आधार पर आरोपियों के पास से 1.18 लाख रुपये नकद भी जब्त किए हैं। सूत्रों ने बताया कि सूचना मिली थी कि उल्हासनगर स्थित एक गिरोह अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप की अंतर-राज्यीय तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल है। टीम ने खेप को उल्हासनगर के एक कूरियर कार्यालय में ट्रैक किया था। ऑपरेशन में एक खेप को रोका गया, जिसमें 4,800 सीबीसीएस बोतलें थीं और इसके एक कथित रिस. ीवर विनोद पीको एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। मो. हनीश एस और सनी जे को एनसीबी ने भिवंडी में एक वाहन में यात्रा करते समय रोका। वाहन की तलाशी के दौरान, उसके अंदर रखे ट्रैवल बैग, ट्रॉली बैग और बोरियों से 75 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

अवैध हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल

मेरठ: प्राप्त समाचार के अनुसार अवैध हॉस्पिटल को सील किए जाने का मामला सामने आया है। बिना नियमों के संचालित किए जाने पर केयर अस्पताल पर पहले सीएमओ कार्यालय ने रेड कर लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। बाद में अस्पताल की बिल्डिंग भी नियमों के विपरीत बनी हुई मिली। इसके चलते मेडा ने भी कार्रवाई की और अस्पताल भवन को सील कर दिया। शहर में चल रहे अवैध अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए सीएम से शिकायत की गई थी। इनमें सबसे पहले हापुड़ रोड स्थित केयर हॉस्पिटल का नाम था। जांच में पता चला कि केयर हॉस्पिटल के संचालकों ने नियमों के विपरीत अनट्रेन नर्सिंग स्टॉफ रखा हुआ है। वह सीटी. रंज भी ठीक से नहीं पकड़ सकता। केयर हॉस्पिटल में नियमों के विपरीत बेसमेंट बनाया गया था और नक्शा भी पास नहीं था। इसे चलते पहले सीएमओ ने दबिश देकर केयर हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर किया। उसके बाद मेडा ने नोटिस जारी कर अस्पताल संचालकों से नक्शा दिखाने को कहा, लेकिन वह कोई स्वीकृत नक्शा नहीं दिखा सके। इसके बाद मेडा ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। बीते दिवस मेडा के प्रवर्तन अधिकारी अर्पित यादव के आदेश पर जेई महादेव शरण ने अस्पताल पर सील लगा दी।

लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट, मची भगदड़

लखनऊ: प्राप्त समाचार के अनुसार लोहिया अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। इस धमाके से मरीजों में दहशत फैल गई और वे इधर-उधर भागने लगे। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार सुबह कर्मचारी ऑक्सीजन रेगुलेटर हटाकर वेंटिलेटर नॉब लगा रहा था। इस दौरान अचानक से धमाका हुआ। इससे वार्ड में भर्ती मरीजों व तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई। धमाके से अस्पताल ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर तक ब्लास्ट का झटका महसूस किया गया। असपताल प्रशासन द्वारा बिल्डिंग को तुरंत खाली कराया गया। अस्पताल में आए मरीज संतोष कुमार के अनुसार धमाके के समय वे ग्राउंड फ्लोर पर डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचे थे। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर तक तेज आवाज सुनाई दी। इसकी वजह से नीचे ओपीडी में मरीजों में भी दहशत फैल गई। कई मरीज और तीमारदार बिल्डिंग से बाहर निकलने लगे। थोड़ी देर बाद धमाका शांत होने पर जांच की गई।

लोहिया संस्थान के प्रवक्ता डॉ. भुवन चंद तिवारी ने बताया कि ऑक्सीजन का रेगुलेटर हटाकर वेंटीलेटर का नॉब लगाना था। जब कर्मचारी नॉब लगा रहा था, उस समय प्रेशर की वजह से धमाका हो गया। राहत भरी बात यजह है कि इस मामले में किसी तरह की कोई जान हानि नहीं हुई है। वेंटीलेटर का नॉब लगने वाले कर्मचारी के हाथ में चोट लगी है। उसे तुरंत प्राथमिक इलाज दिया गया है। डा. तिवारी ने बताया कि फिलहाल कर्मचारी ठीक है और स्थिति नियंत्रण में है।

अवैध अस्पताल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत

कौशांबी (उत्तर प्रदेश): प्राप्त समाचार के अनुसार अवैध अस्पताल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। चायल तहसील के चरवा में संचालित अस्पताल में मरीज की मौत होने पर आक्रोशित परिजनों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंचे चिकित्साधिकारी और पुलिस प्रशासन को देख अस्पताल चिकित्सक एवं अन्य कर्मी मौके से फरार हो हुए। जांच के बाद पता चला कि अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। अस्पताल को सीज कर दिया गया और भर्ती एक महिला मरीज को सीएचसी चायल में शिफ्ट किया है। उधर, मृतक मरीज के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था अस्पताल : चरवा में महादेव हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के संचा. लित किया जा रहा था। देर शाम इलाज के दौरान चन्दा देवी (35) पत्नी गणेश पासी निवासी चरवा की मौत हो गई। महिला का दो दिन पहले ही बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था। महिला की मौत से परिजन आक्रोशित हो उठे और हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर चिकित्साधिकारी चायल ललित सिंह और थानाध्यक्ष चरवा जगदीश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्हें देखते ही अस्पताल चिकित्सक और अन्यकर्मी भी भाग खड़े हुए। इस दौरान परि. जनों ने आरोप लगाया कि इलाज के लिए जमा किए गए 50 हजार देने के बावजूद लापरवाही पूर्ण इलाज से उनके मरीज की मौत हो गई।

अस्पताल को किया सीज : जांच में पता चला कि अस्पताल अवैध तरीके से संचालित है। उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। इसके चलते अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। वहीं, एक अन्य मरीज मनीषा तिवारी पत्नी इन्द्रभान गेरिया पिपरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चायल में शिफ्ट कर दिया गया। उधर, थानाध्यक्ष चरवा जगदीश कुमार ने बताया कि मृतक परिजनों की शिकायत पर आरोपी चिकित्सकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

इलाज के नाम पर खिलवाड़, तीन प्राइवेट अस्पतालों पर केस दर्ज

देवा (बाराबंकी): प्राप्त समाचार के अनुसार इलाज के नाम पर खिलवाड़ करने के आरोप में तीन अस्पतालों पर केस दर्ज किया गया है। मानकों की अनदेखी कर बिना विशेषज्ञ चिकित्सकों के महिलाओं की डिलीवरी कराने वाले तीन अस्पताल संचालकों पर केस दर्ज करवाया गया है। जांच टीम तीनों अस्पतालों को पहले ही सील कर ताला लगा चुकी है। गौरतलब है कि देवा क्षेत्र में निजी अस्पताल संचालक मानकों की अनदेखी कर इलाज के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। बीते दिनों एक प्राइवेट अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत का मामला सामने आया था। डीएम सत्येंद्र कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जांच के लिए भेजा था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पतालों पर छापामारी कर जांच पड़ताल की थी। इस दौरान प्रखर हॉस्पिटल, बालाजी हॉस्पिटल व जीवन ज्योति अस्पताल में बिना किसी प्रशिक्षित चिकित्सक की मौजूदगी के ही भर्ती गर्भवतियों के सिजेरियन किए जा रहे थे। इस पर तीनों अस्पतालों को सील करने की कार्रवाई की गई थी। सीएचसी अधीक्षक डॉ. राधेश्याम गौड़ की लिखित शिकायत पर पुलिस ने प्रखर हॉस्पिटल के संचालक शशांक सिंह, बालाजी अस्पताल के संचालक भानु प्रताप सिंह व जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक अनिल कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी करने व भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर हंगामा, अस्पताल सील

बस्तर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)। प्राप्त समाचार के अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही के चलते मरीज की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। श्री बालाजी केयर अस्पताल में मरीज को घुटने में अचानक दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उसकी किडनी में सूजन और पेट फूलने की बात कही लेकिन इलाज के बावजूद मरीज की मौत हो गई। इसके चलते मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। प्रशासन ने मामला संज्ञान में आने पर अस्पताल को सील कर दिया है। बीजापुर के माट्वाडा निवासी रामपाल यादव के घुटने में अचानक दर्द हुआ। इसका इलाज करवाने वह गदलपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल श्री बालाजी केयर पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मरीज की किडनी में सूजन बताई और लगातार पेट फूलना भी बताया। भर्ती मरीज को हॉस्पिटल में उपचार से कोई भी राहत नहीं मिल पाई। इसके अलावा, भर्ती मरीज को आईसीयू में भर्ती होने का हवाला देकर उनके परिजनों को मिलने तक नहीं दिया गया। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन से गुहार लगाई कि अगर आप इलाज नहीं कर पा रहे है तो मरीज को रिलीव करें ताकि हम दूसरी जगह इलाज करवा सकें। लेकिन बालाजी केयर के डॉक्टर अपने तरीके से इलाज करते रहे और परिजनों से मोटी रकम वसूलते रहे। आखिर, मरीज ने तड़पते हुए अपनी जान गंवा दी। परिजनों ने मृत्यु के बाद हॉस्पिटल के सामने जमकर हंगामा किया। इस घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई और मौके पर पहुंचे सीएचएमओ, तहसीलदार और पुलिस के अमलो ने अपने स्तर पर जांच की। हॉस्पिटल प्रबंधक ने मरीज की जान ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से गई बताई लेकिन सोनोग्राफी एक्सरे की रिपोर्ट इस बीमारी से मैच नहीं हो रही थी। इसके बाद सीएचएमओ ने बॉडी को पोस्टमार्डम के लिए डिमरपाल मेडिकल कॉलेज भेजा है और जांच की रिपोर्ट अने तक श्री बालाजी केयर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है।

राजस्थान: जोधपुर के सरकारी अस्पताल में नाबालिग लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार; जांच

प्राप्त समाचार अस्पताल की आंत. रिक जांच के अनुसार, आरोपियों में से एक पहले भी अस्पताल में अनुबंध के आधार पर कार्यरत था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जोधपुर के सरकारी महात्मा गांधी अस्पताल के परिसर में दो युवकों ने 15 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। प्रताप नगर के सहायक पुलिस आयुक्त अनिल कुमार के अनुसार, किशोरी अपनी मां की डांट के बाद घर से चली गई थी। कुमार ने कहा, उसके परिवार ने उसकी काफी तलाश की और जब वह नहीं मिली तो उन्होंने सूरसागर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस के अनुसार, अस्पताल परिसर में अकेली लड़की को देखकर दोनों व्यक्ति उसके पास पहुंचे। उन्होंने बातचीत की और उसे अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्ट डंपयार्ड के पीछे एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल के पास से बरामद किया और उसके परिवार को सूचित किया। बाद में लड़की ने अपने माता-पिता और पुलिस को अपने साथ हुई मारपीट की पूरी जानकारी दी। कुमार ने बताया कि नाबालिग की मेडिकल जांच के बाद जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने अस्पताल परिसर में अपराध स्थल से साक्ष्य एकत्र किए और संदिग्धों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं, जिनकी पहचान प्रारंभिक तौर पर कर ली गई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. फतेहसिंह भाटी ने कहा कि हालांकि पुलिस ने उन्हें संदिग्धों के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है, लेकिन आंतरिक जांच से पता चला है कि आरोपियों में से एक पहले अस्पताल में अनुबंध के आधार पर कार्यरत था। उन्होंने कहा, अस्पताल के कर्मचारियों को उस क्षेत्र के आसपास प्रकाश व्यवस्था की जांच करने का निर्देश दिया गया है जहां यह घटना हुई थी तथा अतिरिक्त रोशनी सहित सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जा रहा है।

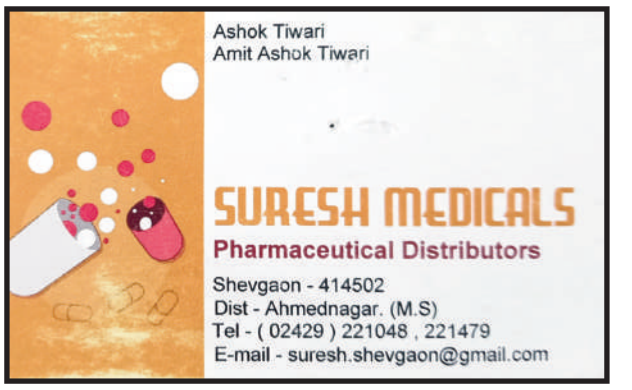

इन दवाइयों की बिक्री व निर्माण पर रोक लगाई गई, कुछ पर मिला स्टे

• FDC of Amylase + Protease + Glucoamylase + Pectinase + Alpha Galactosidase + Lactase + Beta-Gluconase + Cellulase + Lipase + Bromelain + Xylanase + Hemicellulase + Malt diastase + Invertase + Papain • FDC of Antimony Potassium Tartrate + Dried Ferrous Sulphate • FDC of Benfotiamine + Silymarin + L-Ornithine L-aspartate + Sodium Selenite + Folic acid + Pyridoxine hydrochloride • FDC of Bismuth Ammonium Citrate + Papain • FDC of Cyproheptadine HCl + Thiamine HCl + Riboflavine + Pyridoxine HCl + Niacinamide • FDC of Cyproheptadine Hydrochloride + Tricholine Citrate + Thiamine Hydrochloride + Riboflavine + Pyridoxine Hydrochloride • FDC of Rabeprazole Sodium (As enteric coated tablet) + Clidinium Bromide + Dicyclomine HCl + Chlordiazepoxide • FDC of Fungal Diastase + Papain + Nux vomica Tincture + Cardamom Tincture + Casein Hydrolysed + Alcohol • FDC of Omeprazole Omeprazole Magnesium + Dicyclomine HCl • FDC of S-adenosyl methionine + Metadoxine + Ursodeoxycholicacid BP + L-Methylfolate Calcium eq. to L-Methylfolate + Choline bitartratee + Silymarin + L-ornithine L-aspartate + Inositol + Taurine • FDC of Silymarin + Thiamine Mononitrate + Riboflavin+ Pyridoxine HCl + Niacinamide + Calcium pantothenate + Vitamin B12 • FDC of Silymarin + Pyridoxine HCl + Cyanocobalamin + Niacinamide + Folic Acid • FDC of Silymarin + Vitamin B6 + Vitamin B12 + Niacinamide + Folic acid + Tricholine Citrate • FDC of Sodium Citrate + Citric Acid Monohydrate Flavored with Cardamom Oil, Caraway Oil, Cinnamon Oil, Clove Oil, Ginger Oil + Alcohol • FDC of Sucralfate + Acelofenac • FDC of Sucralfate + Domperidone + Dimethicone • FDC of Sucralfate + Domperidone • FDC of Tincture Ipecacuanha + Tincture Urgenia + Camphorated Opium Tincture + Aromatic Spirit of Ammonia + Chloroform + Alcohol • FDC of Ursodeoxycholic Acid + Metformin HCl • FDC of Weak Ginger tincture + Aromatic Spirit of Ammonia + Peppermint Spirit +Chloroform +Sodium Bicarbonate +Compound Cardamom + Alcohol • FDC of Sucralfate + Pantoprazole Sodium + Zinc Gluconate + Light Magnesium Carbonate • FDC of Aloe + Vitamin E Soap • FDC of Povidone Iodine + Metronidazole + Aloe • FDC of Azelaic acid + Tea Tree Oil + Salicylic acid + Allantoin + Zinc oxide + Aloe vera + Jojoba oil + Vitamin E + Soap noodles • FDC of Azithromycin + Adapalene • FDC of Calamine + Aloes + Allantoin • FDC of Calamine + Diphenhydramine Hydrochloride + Aloe + Glycerine + Camphor • FDC of Chlorphenesin + Zinc oxide + Starch • FDC of Clindamycin Phosphate + Zinc acetate • FDC of Gamma Benzene Hexachloride + Benzocaine • FDC of Glucosamine hydrochloride + Diacerein + Menthol + Camphor + Capsaicin • FDC of Hydroxyquinone 2.0%w/w + Octyl Methoxycinnamate 5.0% w/w + Oxybenzone 30 % w/w • FDC of Ketoconazole +Zinc Pyrithione +D-Panthenol +Tea Tree Oil +Aloes • FDC of Ketoconazole +Aloe vera+ Vitamin A Acetate • FDC of Ketoconazole +Aloes + ZPTO • FDC of Kojic Acid +Arbutin +Octinoxate +Vitamin E + Mulberry • FDC of Lornoxicam + capsaicin + menthol + camphor • FDC of Lornoxicam + Thiocolchicoside +Oleum Lini +Menthol + Methyl salicylate • FDC of Menthol + Aloe vera Topical Spray • FDC of Menthol + Lignocaine HCl+Aloe vera gel + Clotrimazole + Diphenhydramine • FDC of Miconazole nitrate + Gentamicin + Fluocinolone Acetonide +Zinc Sulphate • FDC of Miconazole +Tinidazole • FDC of Minoxidil +Aminexil + Alcohol • FDC of Minoxidil +Azelaic acid + saw palmetto • FDC of Minoxidil +Aminexil • FDC of Pine Bark extract + Kojic acid + Sodium Ascorbyl Phosphate • FDC of Povidone Iodine + Tinidazole + Zinc sulphate • FDC of Povidone Iodine + Ornidazole + Dexpanthenol • FDC of Salicyclic acid + Aloe vera + Allantoin + D-Panthenol • FDC of Silver sulphadiazine +Chlorhexidine Gluconate solution +Allantoin + Aloe vera gel +Vitamin E acetate • FDC of Sodium salicylate + Zinc gluconate + Pyridoxine HCl • FDC of Tetracycline + Colistin Sulphate • FDC of Clomiphene + Ubidecarenone • FDC of Combikit Clomiphene Citrate + Estradiol Valerate • FDC of Flavoxate HCl + Ofloxacin • FDC of Clomiphene Citrate + N-Acetylcysteine • FDC of Evening Primerose Oil +Cod liver oil • FDC of Sildenafil Citrate +Papaverine +L-Arginine • FDC of Tranexamic acid + Mefenamic acid + Vitamin K1 • FDC of Divalproex Sodium +Oxcarbazepine • FDC of Divalproex Sodium +Levetiracitam • FDC of Ergotamine tartrate + Caffeine + Paracetamol + Prochlorperazine maleate • FDC of Piracetam + Ginkgo biloba extracts + Vinpocetin • FDC of Ginkgo biloba + methylcobalamin + Alpha lipoic acid + Pyridoxine HCl • FDC of Ginseng Extract + Dried extract of Ginkgo Biloba • FDC of Meclizine HCl+ Paracetamol + Caffeine • FDC of Nicergoline + Vinpocetine • FDC of Gamma Linolenic Acid + Methylcobalamin • FDC of Beclomethasone Dipropionate + Neomycin Sulphate + Clotrimazole + Lignocaine HCl • FDC of Boric acid+ Phenylephrine HCl + Naphazoline Nitrate + Menthol + Camphor • FDC of Naphazoline HCl + Chlorpheniramine Maleate + Zinc Sulphate + Hydroxy Propyl Methyl Cellulose • FDC of Chlorpheniramine Maleate + Naphazoline HCl + Zinc Sulphate + Sodium Chloride + Hydroxy Propyl Methyl Cellulose • FDC of Chlorpheniramine Maleate + Naphazoline HCl + Hydroxy Propyl Methyl Cellulose • FDC of Chlorpheniramine Maleate + Sodium Chloride + Boric Acid + Tetrahydrozoline HCl • FDC of Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine HCl + Antipyrine • FDC of Ketorolac Tromethamine + Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine HCl + Hydroxy Propyl Methyl Cellulose • FDC of Ketorolac Tromethamine + Flurometholone • FDC of Naphazoline HCl + Zinc Sulphate + Boric Acid + Sodium Chloride+ Chlorpheniramine Maleate • FDC of Naphazoline HCl + Hydroxy Propyl Methyl Cellulose + Boric Acid + Borax + Menthol + Camphor • FDC of Naphazoline HCl + Hydroxy Propyl Methyl Cellulose + Chlorpheniramine Maleate +Boric Acid + Sodium Chloride + Zinc Sulphate • FDC of Naphazoline HCl + Hydroxy Propyl Methyl Cellulose + Chlorpheniramine Maleate +Boric Acid • FDC of Naphazoline HCl + Chlorpheniramine Maleate + Methyl Cellulose • FDC of Naphazoline HCl + Hydroxy Methyl Cellulose + Boric Acid + Menthol + Camphor • FDC of Naphazoline HCl + Boric Acid + Menthol+Camphor +Methyl Cellulose + Chlorpheniramine Maleate + Zinc Sulphate + Sodium Chloride • FDC of Naphazoline HCl + Phenylephrine HCl+ HPMC + Chlorpheniramine Maleate + Menthol+ Camphor • FDC of Naphazoline HCl + Hydroxy Propyl Methyl Cellulose + Chlorpheniramine Maleate + Boric Acid + Sodium Chloride + Zinc Sulphate + Menthol + Camphor • FDC of Naphazoline HCl + Hydroxy Propyl Methyl Cellulose + Chlorpheniramine Maleate + Boric Acid +Zinc Sulphate • FDC of Naphazoline HCl + Azelastine HCl+ Sodium Carboxy Methyl Cellulose + Menthol + Camphor + Stabilized Oxychlorocomplex • FDC of Naphazoline HCl + Sodium Carboxy Methyl Cellulose + Menthol + Camphor + Stabilized Oxychlorocomplex • FDC of Naphazoline Nitrate + Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine HCl + Hydroxy Methyl Cellulose + Boric Acid+ Menthol+ Camphor • FDC of Naphazoline Nitrate + Chlorpheniramine Maleate + Zinc Sulphate + Boric Acid + Sodium Chloride • FDC of Norfloxacin + Tinidazole (with Betacyclodextrin) Eye ointment • FDC of Ofloxacin + Beclomethasone Dipropionate + Lignocaine HCl • FDC of Naphazoline HCl + Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine HCl+ Menthol+ Camphor • FDC of Phenylephrine HCl + Naphazoline HCl +Menthol+ Camphor + Hydroxy Propyl Methyl Cellulose • FDC of Phenylephrine HCl + Naphazoline HCl + Menthol + Camphor • FDC of Sulphacetamide Sodium + Zinc Sulphate + Chlorpheniramine Maleate + Boric acid + Sodium Chloride • FDC of Zinc Sulphate + Boric acid + Naphazoline HCl + Sodium Chloride + Phenyl Ethyl Alcohol • FDC of Cetirizine HCl + Paracetamol + Phenylephrine HCl • FDC of Cetirizine HCl + Phenylephrine HCl • FDC of Levocetirizine + Phenylephrine HCl • FDC of Levocetirizine + Phenylephrine HCl + Paracetamol • FDC of Phenylephrine HCl + Paracetamol + Levocetirizine HCl + Menthol • FDC of Levocetirizine HCl + Ambroxol HCl + Paracetamol • FDC of Levocetirizine HCl + Ambroxol HCl + Phenylephrine HCl • FDC of Diethylcarbamazine Citrate + Chlorpheniramine maleate • FDC of Diethylcarbamazine Citrate + Levocetirizine HCl • FDC of Ambroxol HCl + Phenylephrine HCl + Guaiphenesin • FDC of Bromhexine HCl + Phenylephrine HCl • Etofylline + Theophylline anhydrous eq. to Theophylline hydrate + Ambroxol HCl • FDC of Etofylline + Theophylline anhydrous eq. to Theophylline hydrate + Montelukast • FDC of Ambroxol HCl + Terbutaline Sulphate + Ammonium Chloride + Guaiphenesin + Menthol • FDC of Ambroxol HCl + Salbutamol Sulphate + Ammonium Chloride + Guaiphenesin + Menthol • FDC of Cetirizine HCl + Terbutaline Sulphate + Ambroxol HCl + Guaiphenesin • FDC of Dextromethorphan Hydrobromide + Chlorpheniramine Maleate + Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Menthol • FDC of Salbutamol Sulphate + Bromhexine HCl + Guaiphenesin + Ammonium Chloride + Menthol • FDC of Terbutaline Sulphate + Bromhexine HCl + Chlorpheniramine Maleate • FDC of Chlorpheniramine Maleate + P.G Sulphonate + Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Menthol • FDC of Aminophylline + Ammonium Chloride + Sodium Citrate • FDC of Paracetamol + Chlorpheniramine Maleate + Phenyl Propanolamine • FDC of Trithioparamethoxyphenyl Propene + Chlorpheniramine Maleate • FDC of Aceclofenac 50mg + Paracetamol 125mg oral liquid • FDC of Aceclofenac 50mg + Paracetamol 125mg tablet • FDC of Adenosine triphosphate diphosphate + Magnesium Orotate • FDC of Amoxicillin Trihydrate + Dicloxacillin Sodium + Lactobacillus • FDC of Camylofin Dihydrochloride 25 mg + Paracetamol 300mg • FDC of Cefixime + Acetyl Cysteine • FDC of Cephalexin Monohydrate + Serratiopeptidase • FDC of Cetyl Myristoleate + glucosamine Sulphate Potassium+ Methyl Sulfonyl methane • FDC of Diacerin IP + Glucosamine Sulphate Potassium Chloride USP + MSM (Methylsulphonyl Methane) + Cetyl Myristoleate • FDC of Paracetamol + Diclofenac Potassium + Caffeine Anhydrous • FDC of Diclofenac sodium + Thiocolchicoside Injection • FDC of Doxycycline + Ornidazole + Bromelain + Lactobacillus Rhamnosus + Lactobacillus Reuteri RC • FDC of Doxycycline HCl + Betacyclodextrin + Serratiopeptidase • FDC of Erythromycin stearate eq.to Erythromycin +Lactic acid Bacillus • FDC of Etodolac + Paracetamol +Serratiopeptidase • FDC of Flupirtine Maleate 400 mg + Paracetamol 325 mg tablet • FDC of Glucosamine sulphate potassium chloride 410 mg + Chondroitin Sulphate 100 mg • FDC of Glucosamine sulphate potassium chloride+ Methyl Sulphonyl Methane(MSM) + Sodium Borate+ Copper Sulphate pentahydrate+ Manganese Sulphate + Vitamin D3 •FDC of Glucosamine Sulphate Sodium Chloride +Manganese +Boron + Zinc + Copper • FDC of Glucosamine sulphate + Chondroitin sulphate + Methylsulfonylmethane +Vitamin D3 + Vitamin E + Vitamin C + Selenium +Elemental Zinc +Elemental Manganese + Elemental Chromium + Elemental Copper +Elemental Boron • FDC of Glucosamine sulphate + Methyl sufonyl methane + manganese sulphate +Vit E acetate +calcium Carbonate • FDC of Glucosamine Sulphate + +Vitamin E acetate + Calcium Pantothenate + Vitamin D3 • FDC of Glucosamine Sulphate Potassium chloride +Calcium Carbonate from an organic source (oyster shell) eq. to elemental Calcium+ Vitamin D3 • FDC of Cetyl Myristoleate + Glucosamine Sulphate Potassium chloride + Methyl sulfonyl methane • FDC of Glucosamine Sulphate Potassium chloride + Methyl sulfonyl methane +Calcium carbonate +Vitamin E+ Manganese • FDC of Glucosamine Sulphate Potassium chloride + Calcium carbonate + Methyl sulfonyl methane +Vit D3 • FDC of Glucosamine Sulphate Potassium + Methyl sulphate Sodium+ Sulphonyl Methane +Chondroitin Sulphate Sodium+ Calcium Carbonate +Vitamin D3+Sodium Borate+ Cupric Oxide+ Colloidal Silicon Dioxide+ Manganese Chloride • FDC of Methocarbamol + Diclofenac Sodium Injection • FDC of Paracetamol + Pentazocin • FDC of Sucralfate +Domperidone+ Simethicone • FDC of Sulfaquinoxaline +Diaveridine HCl+ Vitamin K • FDC of Tramadol HCl +Dicyclomine HCl + Domperidone • FDC of Tramadol HCl +Paracetamol +Caffeine +Taurine.

इलाज में लापरवाही, अस्पताल सील

फिरोजाबाद: इलाज में लापरवाही के चलते बुखार से पीडित बच्चे की मौत के मामले में अस्पताल को सील किया है और संचालक को नोटिस दिया गया है। इस दौरान नोडल अधिकारी एसीएमओ के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बुखार से पीडित बालक चंद्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र महीपाल को वैष्णो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस कारण परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने मामले की जांच की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामबदन राम ने जांच के आधार पर नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉक्टर वीडी अग्रवाल को वैष्णो हास्पिटल को सील का आदेश दिया।

पतंजलि आयुर्वेद दिव्य दंत मंजन में मिला मांसाहारी तत्व, कोर्ट ने थमाया नोटिस

नई दिल्ली: पतंजलि आयुर्वेद पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसके हर्बल टूथ पाउडर दिव्य दंत मंजन में मांसाहारी तत्व पाए जाने का आरोप लगा है। इसे शाकाहारी के रूप में गलत तरीके से ब्रांड करने पर हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया, जो इसके उत्पाद बनाती है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। वकील यतिन शर्मा ने दायर याचिका में आरोप लगाया है कि पतंजलि के दिव्य दंत मंजन की पैकेजिंग पर एक विशिष्ट हरा बिंदु है, जो शाकाहारी उत्पादों का प्रतीक है। जबकि पैकेजिंग पर सामग्री की सूची से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि टूथ पाउडर में सीपिया ऑफिसिनेलिस (खारे पानी में रहने वाली कटलफिश)है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह गलत ब्रांडिंग है और बाबा रामदेव और अन्य लोग भी इस उत्पाद को शाकाहारी के रूप में प्रचा. रित कर रहे हैं। यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन है। इसके चलते ही कोर्ट में मामला दायर किया गया है।

यूपी में भी फार्मेसी प्रेक्टिस शुरू कराने को प्रयासरत है एसो.- शिवकुमार

अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में फार्मेसी प्रैक्टिस एन्ड रेगुलेशन लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी लागू कराने की तैयारी चल रही है , ज्ञात हो अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश में पीपीआर 2015 लागू कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की डबल बेंच में राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिभूषण सिंह की देखरेख और दिशा निर्देशन मे जनहित याचिका दायर की गयी है।कल जिसकी सुनवाई माननीय राजन राय एवं माननीय ओमप्रकाश शुक्ला की डबल बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। कास्मेटिक एक्ट, पीपीआर 2015 के साथ ही फार्मेसी एक्ट 1948 द्वारा फार्मासिस्ट को जो अधिकार दिए गए हैं उससे आमजन को फायदा उठाने चाहिए, उन्होने कहा कि साथ ही जनता को जनता को जागरूक होना चाहिए कि फार्मासिस्ट दवा का ज्ञाता होता है और औषधि के डोज, डोजेज फॉर्म ,लेने का तरीका साइड इफेक्ट आदि की जानकारी फार्मासिस्ट से करनी चाहिए।

PALCO

Free consultancy and set up for old / new nursing home, medical center / hospitals, R&D LAB, educational science lab school, all industries lab with trunkey projects in pan India.

Contact : Mr. R.P. PAL / NEERAJ PAL

Call : 9891177191 / 8377951686

1802, FF, Electrical Market, Bhagirath Palace, Chandni Chowk, Delhi 110006

एंटीबायोटिक दवा पेंटिड्स की बिक्री पर रोक, बाजार से स्टॉक वापस मंगाया

बरेली: प्राप्त समाचार के अनुसार एंटीबायोटिक दवा पेंटिड्स की बिक्री पर रोक लग गई है। पेरेंट कंपनी एबोट ने पैकेजिंग में हवा भरने से दवा की गुणवत्ता पर असर पडने की आशंका जताई है। कंपनी ने दवा को स्टॉकिस्टों, रिटेल आउटलेट से बिक्री पर रोक लगाने के साथ स्टॉक को वापस मंगाया है। यह दवा 200, 400 और 800 एमजी की है। यह दवा जख्म सुखाने के काम में सर्वाधिक इस्तेमाल में लाई जाती है। एबोट कंपनी की एंटीबायोटिक दवा पेंटिड्स का उत्तराखंड में निर्माण किया जाता है। कंपनी ने अपने सभी स्टॉकिस्टों, आउटलेट को पत्र जारी किया है। बरेली में इस दवा की बड़ी मात्रा में बिक्री होती है। कंपनी ने इस दवा के सभी सेल्स, रिटेल और प्रोडक्शन पर रोक लगाते हुए स्टॉक में रखी दवा की खेप वापस मंगा ली है। कहा गया है कि इस दवा की पैकेजिंग में हवा या पंपिंग की शिकायतें लगातार आ रही हैं और इससे दवा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। इसके लिए कंपनी ने इस दवा को वापस मंगाया है। 25 अगस्त तक दवा वापस भेजने का समय दिया गया है। औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त संदीप कुमार ने बताया कि कंपनी से इस दवा के सैंपल मंगाए हैं। टेस्टिंग कर पता लगाया जाएगा कि दवा की गुणवत्ता पर कोई असर पड़ा है या नहीं। उधर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गेश खटवानी का कहना है पेंटिड्स दवा विक्रेताओं व रिटेलरों से इस दवा को कंपनी को वापस करने का अनुरोध किया है, क्योंकि ये जनहित का मामला है।

AUTHORIZED DISTRIBUTORS OF ADR BOOK

Location	Party Name	Contact No.
Agra	Satish Book Enterprises	9997877123
Ahmedabad	Bharat Medical Book House	9824013920
Akola	Book Emporium	9422861751
Aligarh	Rama Book Store	9319275252
Allahabad	Chetana Medical Books	9307978423
Amritsar	City Book Shop	0183-2571591
Amritsar	Medical Books & Surgicals Centre	0183-2422729
Aurangabad	Arihant Excel Medical Book House	9822259681
Aurangabad	Shri Samarth Book Depot	9822034577
Belgaun	Shri Ganesh Book Stall	8312461258
Berhampur	Book World	9861015189
Bhagalpur	Kora Kagaz	9771511779
Bhopal	Lyall Book Depot	0755-2543624
Bhubaneswar	Annapurna Medical Book Shop	9861243882
Bikaner	Academy Book Centre	9414138998
Burla	Bharat Book Emporium	9337335744
Calicut	Ramdas Sotes & Books	0495-2358398
Chennai	Chennai Medical Book Centre	044-66246369
Chennai	Shah Medical Books	9444829937
Coimbatore	Arasu Medical Book House	9444308567
Coimbatore	Balaji Medical Books	0422-6725292
Coimbatore	Dass Medical Book Shop	9443958620
Cuttack	Scientific Book Depot	9437020414
Delhi	Mirza Book Depot	9958723206
Delhi	Pawan Book Service	9810202316
Delhi	R.S.Book Store	9810546759
Delhi	Sagar Book Depot	9811680722
Delhi	University Book Store	9818357577
Dhulea	Koshal Book Shop	9423916592
Gorakhpur	Medical Book Centre	9450884543
Gwalior	Anand Pustak Sadan	9425114555
Indore	New Jain Book Stall	9926636333
Indore	Scientific Literature Company	9826299744
Jabalpur	Lords Book Sellers	9425155125
Jabalpur	Akash Pustak Sadan	9826563047
Jaipur	Kumar Medical Book Store	9829610430
Jammu	Bhartiya Pustakalaya	9796636000
Jammu	Narend Book Depot	9419114398
Jamnagar	Jay Medical Book Centre	9925236982
Jodhpur	Book World	9829088088
Jorhat	Naveen Pustakalaya	9435514204
Kolhapur	Ajab Pustakalaya	9881424434
Kolkata	Raj Book House	9432550891
Kota	R.K.Stationers	9829087574
Koti Hyderabad	Osmani Medical Book House	040-64644253
Koti Hyderabad	Paras Medical Books Pvt Ltd.	040-24600869
Koti Hyderabad	Sharp Medical Book Centre	040-65544303
Lucknow	Aditya Medical Books Pvt Ltd.	0522-2611724
Lucknow	Arora Book Agencies	0522-4046778
Ludhiana	Verma Book Depot	9872202530
Madurai	Medical Books & International	9344101063
Meerut	City Book Centre	0121-4056292
Meerut	Menakshi Prakashan	0121-2645498
Meerut	R LAL Book Depot	0121-2666235
Mumbai	The National Book Depot	022-24131362
Mumbai	Vikas Medical Book House Pvt Ltd.	022-23010441
Mumbai	Bhalani Medical Book House	022-24171660
Nagpur	New Medical Book Shop	9822225591
Nagpur	Book Source	9850943011
Patna	Current Book Service	9431077745
Pune	J D Granth Bhandar	020-24492832
Raipur	S.K.Medical Book House	9329637397
Raipur	Sristhi Book Stationery Mart	9300855027
Rajkot	Jay Books Medical Book	9925236984
Ranchi	Student Book Depot	0651-2221907
Saharanpur	Hans Pustak Bhandar	9457449388
Sangli	Tanavade & Sons	9823049499
Sri Nagar	Doctors Dotkom	9086454647
Tirupati	Shri Venketswar Book Depot	9885479105
Trivandram	Professional Book House	9495951506
Varanasi	Atithi Medical Books	9307978423
Varanasi	Current Book Agency	9335015235
Visakhapatnam	Andhra Medical Book Centre	9985716032
Visakhapatnam	World Medical Book Centre	9849022192

निजी अस्पताल की लापरवाही, गर्भवती की निकाल दी बच्चेदानी

बस्ती: प्राप्त समाचार के अनुसार निजी अस्पताल की भारी लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। शहर के कटरा पतेलवा स्थित एक निजी अस्पताल में गर्भवती के ऑपरेशन के दौरान बच्चेदानी निकालने का मामला तूल पकड़ गया। पीडित ने सीएमओ को लिखित में शिकायत दी है और कार्यवाही की मांग की है। मामला सार्वजनिक होते ही निजी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग में हडकंप मच गया। मेवालाल निवासी बड़ेवन-गनेशपुर ने सीएमओ को लिखित शिकायती पत्र में बताया कि उसकी पत्नी रीता को प्रसव पीड़ा हुई थी। वे आशा कार्यकर्ता के साथ पत्नी को महिला अस्पताल ले गए। चिकित्सक ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। कटेश्वर पार्क के सामने एक सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि पेट में बच्चा मर चुका है। आशा कार्यकर्ता के सुझाव पर वह कटरा-पतेलवा में संचालित एक निजी हॉस्पिटल एवं मेटरनिटी सेंटर पर पत्नी को ले गए। वहां एक डॉक्टर ने ऑपरेशन कर मृत बच्चे को बाहर निकाला और साथ बच्चेदानी भी निकाल दी। आरोप लगाया कि पत्नी के ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई। अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ ने अपनी नाकामी छिपाते हुए उनकी पत्नी को गंभीर बताकर रेफर कर दिया। पीडित ने बताया कि उनकी पत्नी की उम्र अभी 26 साल है और और यह उनका पहला बच्चा था। उन्होंने सीएमओ से संबंधित अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग उठाई है। नोडल अधिकारी/एसीएमओ बस्ती डॉ. एसवी सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है। सीएमओ स्तर से जांच टीम गठित की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाएंगे।

फेंसेडिल सिरप और अवैध दवाइयों की तस्करी पकड़ी, बांग्लादेशी तस्कर अरेस्ट

दक्षिण बंगाल: प्राप्त समाचार के अनुसार फेंसेडिल सिरप और अवैध दवाइयों की तस्करी पकड़ेजाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी बांग्लादेशी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्यवाही बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अंतर्गत बटालियन ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, नदिया और मालदा जिलों में की। इस दौरान भारी मात्रा में 21 प्रकार की अवैध दवाइयां, 822 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप फेंसेडिल जब्त की। साथ ही तस्करों के चंगुल से 05 गायों को मुक्त कराया तथा बांग्लादेशी मवेशी तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तस्कर भारत से बांग्लादेश में फेंसेडिल और मवेशियों की तस्करी करने की कोशिश में थे। जब्त किए माल की कीमत 27,37,005 रुपये बताई गई है। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जनसंपर्क अधिकारी ए.के. आर्या, डीआईजी ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ सख्त कदम उठा रही है। सीमा चौकी नीमतीता, 115 बटालियन के जवानों ने गंगा नदी से 2 गायों के साथ एक बांग्लादेशी तस्कर को पकड़ा। तस्कर इन गायों को अवैध रूप से बांग्लादेश ले जा रहा था। तस्कर की पहचान बांग्लादेश के चपैनवाबगंज जिले के गांव जगन्नाथपुर निवासी एमडी माणिक के रूप में हुई है। इसके अलावा बटालियन के जवानों ने कुल 822 बोतल फेंसिडिल जब्त की। गिरफ्तार तस्कर तथा जब्त माल को आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को सौंप दिया है।

फार्मा कंपनी के कैमिकल रिएक्टर में ब्लास्ट, 17 की मौत, 41 घायल

अनकापल्ली (आंध्र प्रदेश): प्राप्त समाचार के अनुसार फार्मा कंपनी के कैमिकल में ब्लास्ट होने और 17 मजदूरों की मौत होने का समाचार है। इस हादसे में 50 अन्य घायल भी हो गए हैं। यह हादसा अचुतापुरम विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में दवा कंपनी एसिएंटिया में लंच ब्रेक के दौरान हुआ बताया गया है। कंपनी परिसर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। वे जान बचाने के लिए बाहर भागे।

कई दमकल गाडियां पहुंची मौके पर : कई दमकल गाडियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंचीं। एनडीआरएफ, दमकल कर्मियों और पुलिस ने इमारत की तीसरी मंजिल पर फंसे कर्मचारियों को बचाया। घायलों को अनकापल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। ब्लास्ट के समय कंपनी में करीब 300 कर्मचारी मौजूद थे। अधिकारियों के नअुसार, विस्फोट इतना तेज था कि इमारत की पहली मंजिल का स्लैब ढह गया। विस्फोट से आसपास के गांवों में भी लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर एकत्र होकर पीडितों के लिए मुआवजे और लापरवाही के लिए अधिकारियों को सजा देने की मांग की। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर दुख जताया है।

मेडिकल स्टोर्स पर छापा, नशीले इंजेक्शन और दवाएं बरामद

बदायूं: प्राप्त समाचार के अनुसार मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की गई और नशीले इंजेक्शन व दवाएं बरामद की हैं। सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी ने यह कार्रवाई की। नाबालिग को नशे का इंजेक्शन लगाते हुए मेडिकल स्टोर संचालक विनोद सिंह राठौर को रंगेहाथ पकड़ा गया। सिविल लाइंस थाने में आरोपी विनोद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई और उसे जेल भेज दिया है। हैरानी वाली बात ये है कि जांच में एक ही लाइसेंस पर तीन अलग-अलग स्थानों पर मेडिकल स्टोर संचालित मिले। सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने बताया कि ओवरब्रिज के पास लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर नशीले इंजेक्शन बेचे जाने की सूचना मिली थी। इस पर सुनियोजित ढंग से पुलिसकर्मी को भेजकर नशीला इंजेक्शन मंगवाया गया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल लेकर स्टोर पर रेड की। जांच में बड़ी मात्रा में नशे के इंजेक्शन मिले। मेडिकल स्टोर के पास ही एक नाला है, यहां से इस्तेमाल हो चुके नशे के इंजेक्शन भी पुलिस ने बरामद किए। मेडिकल स्टोर संचालक विनोद सिंह राठौर को पुलिस ने एक नाबालिग को नशे का इंजेक्शन लगाते मौके पर ही पकड़ लिया।

ड्रग विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। औषधि निरीक्षक लवकुश प्रसाद को लेकर रात के समय मिशन स्कूल के पास लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर टीम पहुंची। टीम ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया तो यहां भी बड़ी संख्या में प्रतिबंधित दवाएं मिलीं। इसके बाद टीम मंडी समिति रोड पर पहुंची। वहां भी मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाएं व इंजेक्शन बरामद हुए। जांच में पता चला कि ये तीनों मेडिकल स्टोर विनोद राठौर के ही हैं। तीनों ही लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के नाम से एक ही लाइसेंस पर चल रहे थे। आरोपी विनोद और उसका लडका सुधांशु मेडिकल स्टोर पर बैठकर नशीली दवाएं बेचते थे। पुलिस ने उसे भी नामजद किया है। बताया गया है कि मेडिकल स्टोर संचालक युवाओं को नशे के इंजेक्शन (रेक्सोगैसिक) बेचता था। ये इंजेक्शन बाजार में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।

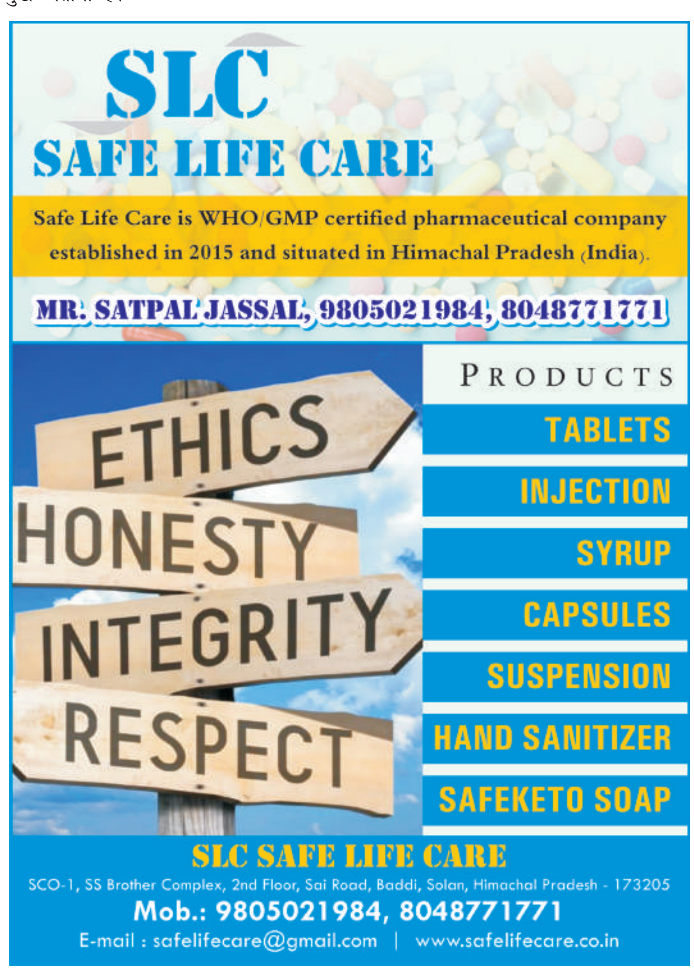

अवैध इंजेक्शन के साथ तीन काबू

जबलपुर (मप्र): प्राप्त समाचार के अनूसार नशीले इंजेक्शन की बिक्री रोकने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मौके से आरोपी समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी दमो. हनाका पेट्रोल पम्प के पास नशे के इंजेक्शन बेचने के लिए घूम रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 1578 नशीले इंजेक्शन व मोटरसाइकल बरामद की है।

खरीद व बिक्री का डॉटा ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक नहीं

गोरखपुर: प्राप्त समाचार के अनुसार दवा दुकानदारों के लिए बेहद जरूरी खबर है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन) की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत अब दवा दुकानदारों को हर तीसरे महीने खरीद व बिक्री का डॉटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें सभी दवाओं का हिसाब अपने रिकॉर्ड में अपडेट रखना होगा। यह कदम नशीली दवाइयों का धंधा रोकने के लिए उठाया गया है। कई रोगों की दवाइयां नशे के विकल्प के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही हैं। अब नशेड़ी लोग दर्द निवारक दवाओं का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने करीब 300 प्रकार की दवाइयों को नारकोटिक्स श्रेणी में शामिल किया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने नारकोटिक्स दवाइयों के धंधे पर रोक लगाने के लिए निर्णय लिया था कि दवा निर्माता व विक्रेता हर तीसरे महीने अपने क्रय-विक्रय ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। इसके लिए इन्हें पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य किया गया था। इससे दवा दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। दवा दुकानदारों का कहना था कि नारकोटिक्स श्रेणी में चिह्नित एक-एक दवा का तीन महीने तक रिकॉर्ड रखने और उसे पोर्टल पर अपलोड करने के लिए एक अतिरिक्त कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इससे इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी। दुकानों की जांच के नाम पर अवैध वसूली होगी। इसको लेकर दवा विक्रेताओं के संगठन ने सीबीएन कमिश्नर को भी पत्र सौंपा था।

डिस्काउंट दवा की रेट लिस्ट मेडिकल स्टोर पर लगाने के निर्देश जारी

केरल: डिस्काउंट दवा की रेट लिस्ट मेडिकल स्टोर पर लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश केरल औषधि नियंत्रण प्रशासन (डीसीए) ने हाईकोर्ट के आदेश पर सभी डिस्काउंट फार्मेसियों को दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि जो फार्मेसी दवा की कीमतों पर 10 से 80 प्रतिशत की छूट देती हैं, उन दवाओं की मूल्य सूची दो सप्ताह के भीतर मेडिकल दुकानों में प्रदर्शित की जानी चाहिए। राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि उच्च् न्यायालय का मानना है कि चूंकि जनता दवाओं की उपभोक्ता है, इसलिए यह जानना उनका अधिकार है कि कौन से उत्पाद छूट पर उपलब्ध हैं और उनकी छूट दरें क्या हैं। इस संबंध में एसडीसी कार्यालय ने एडीसी कार्यालयों के माध्यम से सभी दवा दुकानों और चेन फार्मेसियों को एक परिपत्र जारी किया है। उच्च न्यायालय दवाइयों के खुदरा और थोक व्यापार में लगे केमिस्ट और ड्रगिस्ट के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था। उन्हें विभिन्न उपभोक्ता संगठनों और ऑल केरल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त था। याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह थी कि राज्य सरकार और जिम्मेदार एजेंसी, औषधि नियंत्रण विभाग, दवाओं पर भारी छूट देने वाली चेन मेडिकल दुकानों के एक समूह द्वारा बैनर और फ्लेक्स बोर्ड प्रदर्शित करने के खिलाफ कार्यवाही करने में निष्क्रिय हैं। चेन फार्मेसियों की यह कार्रवाई फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन है, जो अनैतिक है। न्यायालय को सूचित किया गया कि औषधि नियंत्रण विभाग और राज्य फार्मेसी परिषद दोनों इस उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही निष्क्रिय हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि छूट देने वाली फार्मेसियों द्वारा दावा किए गए कुछ लोकप्रिय ब्रांडों की कीमतों को कम करना संभव नहीं है।

"दोषी को निर्दोष बताने वाले व्यक्ति को भी दोषी के समान ही सजा दी जाए" –चाणक्य

ग्लेनमार्क फार्मा ने यूएसए में आंखों की नई दवा लांच की

मुंबई: प्राप्त समाचार के अनुसार ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडियरी ने यूएसए में आंखें की बीमारी से संबंधित नई दवा बाजार में उतारी है। सब्सिडियरी ग्लेनमार्क Therapeutics Inc-, USA ने अमेरिका में ओलोपैटाडाइन हाइड्रोक्लोराइड (Olopatadine Hydrochloride) दवा को लांच किया है। दवा कंपनी का कहना है कि यह नई दवा एक ऑप्थैलमिक सॉल्यूशन है। यह पाटाडे में सक्रिय इंग्रेडिएंट के तौर पर काम करता है। इस दवा का अमेरिका में सालाना 220 करोड़ रुपये का कारोबार है। यह दवा आंखों से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। गौरतलब है कि हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मा ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 96.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कंसोलिडेटेड आधार पर ग्लेनमार्क फार्मा का पहली तिमाही में मुनाफा 173 करोड़ रुपये से बढकर 340 करोड़ रुपये हो गया है। फार्मा कंपनी की आय में 6.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं कंपनी की आय 3036 करोड़ से बढकर 3244 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी के कामकाजी मुनाफे में 34.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह 437 करोड़ रुपये से बढकर 588 करोड़ रुपये हो गया है। मार्जिन 14.4 से बढकर 18.1 प्रतिशत हो गया है।

एम्स दिल्ली ने परिसर में सुरक्षा उपायों का आकलन करने के लिए दो समितियों का किया गठन

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार एम्स दिल्ली प्रशासन ने हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टरों से मरीजों की देखभाल के हित में काम पर लौटने की अपील की और कहा कि परिसर के भीतर सुरक्षा और सुरक्षा उपायों का आकलन करने के लिए एक सहयोगात्मक आंतरिक सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। संस्थान में सुरक्षा मुद्दों और डॉक्टरों की अन्य चिंताओं पर विचार करने के लिए प्रशासन द्वारा दो समितियों का गठन भी किया गया है। कोलकाता में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून की मांग को लेकर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सुरक्षा ऑडिट के अलावा, एम्स प्रशासन ने पायलट आधार पर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं पर एल्युमिनियम युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी फैसला किया है। ऐसे कैमरे चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक से सभी आगंतुकों को पहचानने में सक्षम होंगे और सुरक्षा कर्मचारियों को बार-बार प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करेंगे, जिससे उन्हें अनधिकृत व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। एम्स के निदेशक डॉ. वी. श्रीनिवास ने कहा कि पूरा एम्स परिवार इस प्रमुख अस्पताल और पूरे देश में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए खड़ा है।

उन्होंने एक अपील दस्तावेज में कहा, हालांकि, डॉक्टरों के रूप में, हमारा सर्वोच्च कर्तव्य यह सुनिश्चित करना भी है कि हमारे पोर्टल पर आने वाले मरीज बिना देखभाल के न रहें। श्रीनिवास ने कहा कि प्रशासन ने स्वास्थ्य पेशेवरों, कर्मचारियों, रोगियों और आगंतुकों की सुरक्षा के संबंध में एम्स, नई दिल्ली में एक सहयोगात्मक आंतरिक सुरक्षा ऑडिट करने का निर्णय लिया है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता बायोफिजिक्स विभाग की प्रमुख डॉ. पुनीत कौर करेंगी। पैनल में एफएआईआईएमएस, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, छात्र संघ, नर्स यूनियन और सोसाइटी ऑफ यंग साइंटिस्ट्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति दिन और रात के समय एनसीआई झज्जर, हरियाणा, एनडीडीटीसी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सीआरएचएसपी बल्लभगढ़, हरियाणा आदि जैसे आउटरीच परिसरों सहित एम्स परिसरों का दौरा करेगी और सुरक्षा उपायों का सर्वेक्षण करेगी। समिति एम्स परिसर में आवश्यक किसी भी अतिरिक्त सुरक्षा और सुरक्षा उपायों पर भी विचार-विमर्श करेगी और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अपनी सिफारिशें जल्द से जल्द प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा, भारत सरकार स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए सभी डॉक्टरों से रोगी देखभाल के हित में काम पर लौटने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, एम्स नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों से अनुरोध है कि वे तुरंत अपने काम पर लौट आएं ताकि रोगी देखभाल सेवाएं सामान्य हो सकें। संस्थान के स्वास्थ्य पेशेवरों की तत्काल चिंताओं को दूर करने के लिए डीन (अकादमिक), डीन (शोध), चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य सुरक्षा अधिकारी वाली एक और चार सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसके अलावा, एक कार्यालय आदेश में कहा गया है कि एम्स के निदेशक ने अस्पताल परिसर का कई बार दौरा किया है और पाया है कि कई बार एक ही बाहरी व्यक्ति रोगी परिचारकों, डिलीवरी एजेंटों आदि की आड़ में विभिन्न भवनों में प्रवेश करते और बाहर निकलते पाए जाते हैं, जिससे ऐसे व्यक्तियों के परिसर में अक्सर आने-जाने वाले दलाल या प्रतिरूपणकर्ता होने का संदेह पैदा होता है। सुरक्षा कर्मचारियों ने भी ऐसे बार-बार आने वाले आगंतुकों की पहचान करने में कठिनाई व्यक्त की है क्योंकि वे शिफ्ट ड्यूटी पर होते हैं और उनके लिए संदेह जताना संभव नहीं होता क्योंकि कई बार इससे वास्तविक आगंतुकों और मरीजों के परिचारकों को असुविधा होती है। अन्य महत्वपूर्ण अस्पतालों की खबरें आई हैं जिनमें ऐसे अनधिकृत कर्मियों ने मरीजों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और एम्स में भी कई बार मरीजों को गुमराह करने और ठगने की खबरें आई हैं। आदेश में कहा गया है, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पायलट आधार पर एल-सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे कैमरे चेहरे की पहचान तकनीक से सभी आगंतुकों को पहचानने में सक्षम होंगे और सुरक्षा कर्मचारियों को यह पहचानने में मदद करेंगे कि कौन से व्यक्ति अक्सर प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, जिससे उन्हें अनधिकृत व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

सितंबर माह के व्रत एवं त्यौहार

05.09.2024	शिक्षकदिवस
07.09.2024	गणेशचतुर्थी
08.09.2024	वि0 साक्षरता दिवस
14.09.2024	हिंदीदिवस
15.09.2024	ओनम
18.09.2024	पितरपक्षप्रारम्भ
22.09.2024	दिनरात बराबर
27.09.2024	विश्व पर्यटक दिवस
28.09.2024	शहीद भगतसिंह जयंती

कैप्सूलों की तस्करी, 720 कैप्सूल बरामद

साढौरा, यमुनानगर (हरियाणा): नशीले कैप्सूल की तस्करी पकड़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक स्कार्पियो कार से 720 नशीले कैप्सूल बरामद कर आरोपी तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सिंटू उर्फ काला पुत्र कर्ण सिंह बताया गया है। एसएचओ अनिल राणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि सिंटू उर्फ काला नशीले कैप्सूल की सप्लाई करता है। वह लंबे समय से यूपी से नशीले कैप्सूल लाकर आसपास के गांवों में सप्लाई करता है। सूचना पर पुलिस ने रसूलपुर गांव के टी प्वाईंट पर नाकेबंदी की। इसी दौरान सिंटू स्कॉर्पियो कार में आता हुआ दिखाई दिया। सिंटू की स्कॉर्पियो कार को रोका और संदेह के आधार पर कार की तलाशी ली। मौके पर ईटीओ राजपाल की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसकी कार से 720 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए। दवा नियंत्रक अधिकारी ने इन कैप्सूल के प्रतिबंधित होने की पुष्टि की। इसके चलते पुलिस ने सिंटू को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

भारत बायोटेक ने हैजा रोग की ओरल वैक्सीन लॉन्च की

हैदराबाद: भारत बायोटेक ने हैजा रोग की ओरल वैक्सीन को लॉन्च किया है। दुनियाभर में हैजा रोग पर रोक लगाने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लि. ने हैजे की ओरल वैक्सीन हिलकोल को लांच करने की घोषणा की। गौरतलब है कि ओरल हैजा वैक्सीन (ओसीवी) की वैश्विक मांग सालाना 10 करोड़ खुराक से ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर ओसीवी की चार करोड़ खुराक की कमी है और नई वैक्सीन इस कमी को दूर करेगी, ऐसी संभावना है। क्लीनिकल परीक्षण में इस वैक्सीन के सुरक्षित होने की पुष्टि हो चुकी है और यह मौजूदा टीकों से कमतर नहीं है।

हैदराबाद प्लांट में बनाई जाएगी ये वैक्सीन : भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआइ) ने कंपनी के हैदराबाद प्लांट में वैक्सीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक 4.5 करोड़ डोज की वार्षिक क्षमता के साथ अपने हैदराबाद संयंत्र से उत्पादन शुरू करेगी। यह वैक्सीन, एकल खुराक वाला रेस्प्यूल है, जिसे 14 दिनों के अंतराल पर (दो खुराक) दिया जाता है। यह एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त है। बताया गया है कि रेस्प्यूल में दवा तरल रूप में होती है। इसे नेबुलाइजर नामक मशीन में डाला जाता है। इसके बाद सांस के जरिये दवा शरीर के अंदर ली जाती है। भारत बायोटेक के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एला ने कहा कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (बीबीआइएल) ने हैदराबाद और भुवनेश्वर में बड़े पैमाने पर विनिर्माण केंद्र स्थापित की हैं। इनमें हिलकोल की 20 करोड़ खुराक तैयार की जा सकेगी। डीसीजीआई ने कंपनी के हैदराबाद प्लांट में वैक्सीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। हिलकोल (बीबीवी131) को भारत बायोटेक ने ङ्क्षसगापुर के हिलमैन लैबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत विकसित किया गया था।

डायबिटीज की जांच से लेकर दवा तक के बढ़े दाम

नई दिल्ली: डायबिटीज यानि शुगर का इलाज कराना अब आम आदमी के बस से बाहर की बात होती जा रही है। दरअसल, शुगर की जांच करवाने से लेकर उसके इलाज की दवाइयों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। जबकि इस बीमारी की चपेट में बड़ी आबादी है। वर्तमान में एक सामान्य फिजीशियन की फीस 500 रुपए है। जैसे-जैसे इनका कद बढ़ता जाएगा, मरीज को एक हजार से लेकर 2 हजार रुपए तक की फीस अदा करनी होगी। यहां से जांच और इलाज की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। दवाओं की बाते करें तो सामान्य शुगर रोगी के लिए 10 गोलियों के एक पत्ते की कीमतों में 15 से 20 रुपए बढ़ गए हैं। रोग जिस स्तर का होगा, डाक्टर अधिक कांबीनेशन लिखता है तो यह कीमत और भी बढ़ जाती है। लैब में एक बार जांच कराने पर 100 से 150 रुपए लगते हैं। जबकि साल में दो से तीन बार होने वाले एचबी ए-1 सी जांच के लिए 200 से 250 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गौरतलब है कि घर पर शुगर की जांच कराने के लिए ग्लूकोमीटर का सहारा लेना पड़ता है। इसकी 25 स्ट्रिप के पैकेट पर 80 से 100 रुपए की बढ़ोत्तरी हो चुकी है। बीते तीन महीनों में हुई इस बढ़ोत्तरी के बाद हर माह मरीज की जेब से करीब 150 रुपए अतिरिक्त का खर्चा बढ़ गया है। सामान्य शुगर के मरीज के लिए 10 गोलियों का पत्ता 110 से 130 रुपए के बीच है। औसत 120 रुपए प्रति पत्ते के हिसाब से महीने में तीन पत्ते चाहिए। यानि 360 रुपए खर्च होंगे। जांच के लिए 25 स्ट्रिप का पैकेट करीब 400 का है। पांच और जोड़ें तो करीब 440 की पड़ेंगी। करीब 800 रुपए का खर्चा हर माह होगा और डाक्टर की फीस इससे लगे रहेगी।

आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाओं के विज्ञापनों पर रहेगी रोक : SC

नई दिल्ली: आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाओं के बिना परमिशन लिए विज्ञापन करने पर रोक जारी रहेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसके तहत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को हटा दिया गया था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह चूक न्यायालय के 7 मई, 2024 के आदेश के विरुद्ध है। आयुष मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर 1 जुलाई, 2024 को अधिसूचना जारी की थी। कि औषधि नियम 2024 के तहत नियम 170 को हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में आयुष मंत्रालय ने 2 जुलाई, 2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 और इसके संबंधित रूपों को हटाने की अधिसूचना जारी की है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उपरोक्त अधिसूचना 7 मई, 2024 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध है। 2024 जिसमें यह देखा गया कि मंत्रालय को ही ज्ञात कारणों से 29 अगस्त, 2023 के पत्र को वापस लेने के बजाय 1 जुलाई 2024 को औषधि नियमों से नियम 170 को हटाने के लिए अधिसूचना जारी की गई।

प्राइवेट हॉस्पिटल से दवाएं लेकर भाग रही फर्जी नर्स गिरफ्तार

लक्ष्मीपुर, जमुई (बिहार): प्राइवेट हॉस्पिटल से दवाएं लेकर भाग रही फर्जी नर्स को गिरफ्तार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने केनुहट स्थित मां दुर्गा इमरजेंसी हॉस्पिटल से दवा व अन्य सामान लेकर चुपके से निकल रही एक महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान सोनो की मनिता देवी के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार महिला एक युवक के साथ देर शाम दुर्गा इमरजेंसी हॉस्पिटल का ताला खोलकर उसमें रखी दवा सहित अन्य साक्ष्यों को लेकर भागने के फिराक में थी। इसी दौरान गश्त पर निकले थाना के एसआइ विवेक कुमार यादव व सावन कुमार की नजर उक्त हॉस्पिटल के खुले दरवाजे पर पड़ी।

औषधि विभाग ने 17 संदिग्ध दवाओं की बिक्री पर लगाई रोक, सैंपल लिए

रायबरेली: औषधि विभाग ने 17 संदिग्ध दवाओं की बिक्री करने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा आठ दवाओं के सैंपल भी लिए हैं और इन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने क्षेत्र में दवा दुकानों के निरीक्षण के दौरान 17 संदिग्ध दवाओं की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही आठ दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। मेडिकल स्टोरों में खामियां मिलने पर पांच संचालकों को नोटिस देकर जवाब भी मांगा गया है। कहा गया है कि बिल दिखाने के बाद ही रोकी गई दवाओं की बिक्री की जा सकेगी। ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर अमावां क्षेत्र के संदी नागिन स्थित सिंह मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। यहां तीन दवाओं की बिक्री को रोका है और दो दवाओं के सैंपल लिए हैं। इसके अलावा सलोन के रेवली स्थित विद्या फार्मेसी से तीन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई है। दो दवाओं के सैंपल भी लिए हैं। उनहोंने बताया कि शहर में कई मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण करके दवाओं के सैंपल लिए गए हैं। इस क्रम में न्यू शुभम मेडिकल स्टोर से दो दवाओं के सैंपल लिए। चार दवाओं की बिक्री रोकी।

फार्मा उद्योग को वैश्विक स्तर पर सहयोग व छोटी कंपनियों का समर्थन करना चाहिए

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार वैश्विक दवा बाजार में प्रभुत्व बनाए रखने और स्थापित और उभरती हुई कंपनियों के बीच की खाई को पाटने के लिए, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने देश के दवा क्षेत्र से नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने , गुणवत्ता पर जोर देने और वैश्विक बाजार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने बड़ी दवा कंपनियों द्वारा छोटी फर्मों को गुणवत्ता निर्माता बनने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन करने के महत्व पर बल दिया। नवाचार पर ध्यान दें, गुणवत्ता पर जोर दें और वैश्विक बाजार के साथ काम करें। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण होगी। नए विकास और अच्छे विनिर्माण प्रथाओं से अवगत रहना महत्वपूर्ण है। बड़ी दवा कंपनियों को उत्कृष्ट उत्पादों के गुणवत्ता निर्माता बनने में छोटी कंपनियों का समर्थन करना चाहिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (CAPEXIL) और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फार्मा और हेल्थकेयर प्रदर्शनी (IPHEX 2024) के उद्घाटन के दौरान, मंत्री ने भारत की दुनिया की फार्मेसी के रूप में स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने मजबूत पिछड़े और आगे के लिंकेज सुनिश्चित करते हुए और उत्पाद विकास की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए जेनेरिक क्षेत्र में ताकत का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रसाद ने कहा, भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2024 तक निर्यात 14.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 90 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

एम्फेटामाइन की तस्करी पकड़ी, 8.5 करोड़ की दवा समेत 3 अरेस्ट

हैदराबाद: नशीली दवा एम्फेटामाइन की तस्करी पकड़ी जाने का मामला प्रकाश में आया है। जब्त दवा की कीमत 8.5 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई नारकोटिक्स इंफोर्समेंट विंग (एचएनईडब्लू) ने बोवेनपल्ली पुलिस के साथ मिलकर की। मौके से एक ड्रग तस्कर और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया है और एक महिंद्रा जाइलो एसयूवी और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मुख्य आरोपी कुंचला नागराजू को उसके साथियों आशागौनी विनोद कुमार गौड़ और कुंती श्रीशैलम के साथ बोवेनपल्ली में डेयरी फार्म रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। वे ड्रग्स बेचने के लिए हैदराबाद जा रहे थे। नारकोटिक्स इंफोर्समेंट विंग को सूचना मिली कि नशीली दवा की तस्करी की जाने वाली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर एक कार को रोक लिया।

सन फार्मा ने स्किन प्रॉब्लम की नई दवा पेश की

मुंबईः प्राप्त समाचार के अनुसार सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्किन प्रॉब्लम के इलाज की नई दवा लांच की है। स्टारिजो नामक यह दवा टेडिजोलिड फॉस्फेट टैबलेट 200 मिलीग्राम में है। कंपनी ने कहा कि स्टारिजो (टेडिजोलिड फॉस्फेट) एक नया, ऑक्साजोलिडिनोन-क्लास जीवाणुरोधी है। इसका इस्तेमाल तीव्र जीवाणु त्वचा और त्वचा संरचना संक्रमण (एबीएसएसएसआई) के इलाज में किया जाता है। बताया गया है कि सन फार्मा ने भारत में टेडिजोलिड फॉस्फेट के विकास, निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए एमएसडी से अधिकार प्राप्त किए हैं। गौरतलब है कि एबीएसएसएसआई का कारण बनने वाले मेथिसिलिन-प्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस ऑरियस (एमआरएसए) जैसे दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का इलाज करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। दरअसल, अस्पतालों में प्रभावी इलाज विकल्पों की सीमित उपलब्धता है। फार्मा कंपनी का कहना है कि स्टारिजो की दिन में एक बार खुराक ली जाती है। कंपनी के सीईओ इंडिया बिजनेस कीर्ति गनोरकर के अनुसार हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम ऐसी नई दवाइयां पेश करें जो रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करें। कंपनी का कहना है कि एबीएसएसएसआईएस का कारण बनने वाले एमआरएसए जैसे दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का इलाज करना अधिक चुनौतीपूर्ण है। इसमें प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं की सीमित उपलब्धता है। स्टारिजो (टेडिजोलिड फॉस्फेट) छह दिनों के लिए दिन में एक बार मौखिक उपचार है और इसे 10-14 दिनों के लिए दिन में दो बार दिया जाना चाहिए। स्टारिजो (टेडिजोलिड फॉस्फेट) को बुजुर्गों, यकृत या गुर्दे की दुर्बलता वाले रोगियों और हेमोडायलिसिस पर रोगियों में खुराक समायोजन की जरूरत नहीं होती है।

नकली दवाइयां बनाने वाली पांच कंपनियों पर केस, जानें कौन सी हैं दवाएं

बिजनौर (उप्र): नकली दवाइयां बनाने वाली पांच दवा कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इससे पहले भी पांच अन्य दवा कंपनियों पर केस दर्ज कराया गया था। औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने बताया कि जिले में लगातार दवाइयां जांच में अधोमानक और नकली मिल रही हैं। इसके चलते अब पांच दवा निर्माता कंपनियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज करवाया है। साथ ही एक मेडिकल स्टोर संचालक पर नार्कोटिक्स अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार जेएमएम फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड सिरमोर में बनी सिफेक्सिमा-100 डीएस दवाई जांच में अधोमानक मिली। इसके अलावा नेक्टर हर्बस ड्रग्स, कोटद्वार में बनी डिक्जोस-पी टेबलेट भी अधोमानक पाई गई। वहीं, माइटक्सिम-200 डीटी दवा भी जांच में अधोमानक निकली, जोकि डैक्सीन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, सोलन में बनी थी।

मेरोपेनेम इंजेक्शन का सैंपल जांच में अधोमानक मिला : उन्होंने बताया कि वहीं मेरोपेनेम इंजेक्शन का सैंपल जांच में अधोमानक पाया गया। यह इंजेक्शन क्योरहेल्थ फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, सोलन की कंपनी में बना था। जांच में अधोमानक आने पर कंपनियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज करवाया है। उधर, औषधि निरीक्षक ने धामपुर के मोहल्ला वाडवान निवासी संदीप कुमार चौहान पर नार्कोटिक्स दवा मिलने पर मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले भी पांच दवा कंपनियों के खिलाफ केस दायर किया गया था। उमेश भारती का कहना है कि जिले में लगताार दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।

इंजेक्शन और 20 दवाओं के सैंपल मिले फेल, कंपनियों को नोटिस

सोलनः प्राप्त समाचार के अनूसार एक इंजेक्शन और 20 दवाओं के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। संबंधित कंपनियों को नोटिस थमा दिए हैं। बता दें कि ये दवाएं हिमाचल में बनीं हैं और इनमें अधिकतर बीबीएन क्षेत्र की दवा कंपनियों की हैं। इनके अलावा नेचुरल प्रोटीन शैंपू का सैंपल भी मानकों पर खरा नहीं उतरा है। फेफड़ों में फंगल संक्रमण को कम और डिहाइड्रेशन कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन भी फेल आया है।

इन दवाओं के सैंपल हुए फेल : राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि सैंपल फेल मिलने वाली दवा के उद्योगों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन दवाओं के सैंपल फेल आए हैं, उनमें बोनसाई फार्मा किशनपुरा के फंगोबी कैप्सूल व पेंटोप्रोजोल, हिग्गज हेल्थेयर भटोलीकलां बद्दी के कंपाउंड सोडियम लेकटेट इंजेक्शन, अल्ट्राड्रग्ज प्राइवेट काठा के इट्राकॉनाजोल कैप्सूल, जेपी इंडस्ट्रीज भूड के कार्बामेजेपिन-ई एक्सटेंडिड रीलीज टेबलेट शामिल हैं। इनके अलावा, ब्रॉड इंजेक्टेबल्ज टाहलीवाल ऊना का कैल्शियम-कार्बोनेट, बी6 (कामेड-सीएम), एमसा फार्मास्यूटिकल पांवटा की एजिथ्रोमाइसिन व कंपाउंड सोडियम लेकटेट इंजेक्शन, यूनिग्रो फार्मास्यूटिकल काठा बद्दी की ओफ्लोक्सिन-ओर्निडाजोल टेबलेट, लाइफविजन हेल्थकेयर झाड़माजरी का सीनेटिविट कैप्सूल के नाम हैं। वहीं, मार्टिन एंड ब्राउन बायो साइंसेज बद्दी की पेंटोप्राजोल व रेबेप्राजोल, माइक्रो फार्मूलेशन चंबाघाट की जालमोक्सी सीवी, इलविस केयर बद्दी की स्टॉपमस्ट इंजेक्शन, आरगे हेल्थकेयर परवाणू की पेंटोप्रोजोल, अल्ट्रा ड्रग्ज मनकपुर की कफ सिरप, आईबीएन हर्बलज बद्दी की बायोग. लिप-1, एचपीएसआईडीसी की सिप्रोफ्लोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, हिमालयन वेलनेस बद्दी का नेचुरल प्रोटीन शैंपू भी मानकों पर खरा नहीं उतरा है।

मेडिकल स्टोरों पर फर्जी सीएम फ्लाइंग ने की रेड, दो गिरफ्तार, तीन फरार

भिवानी (हरियाणा): प्राप्त समाचार के अनुसार मेडिकल स्टोरों पर फर्जी सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी करने का मामला प्रकाश में आया है। टीम के सरगना और दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य तीन अभी फरार हैं। पता चला कि इन आरोपियों ने पांच जिलों की छह दवा दुकानों पर छापेमारी की और पैसे ऐंठे हैं। डीएसपी-मुख्यालय धीरज कुमार ने प्रेसवार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से दो गाडियां भी जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। डीएसपी ने बताया कि गिरोह का सरगना नवीन उर्फ मोनू मोखरा निवासी है और साहिल फरमाणा और अंकित मुंढाल खुर्द के निवासी हैं। इस गिरोह ने दादरी के सांवड़ गांव स्थित शर्मा मेडिकल स्टोर से 27 हजार रुपये वसूले थे जबकि बाढड़ा स्थित मेडिकल स्टोर संचालक की सूझबूझ की वजह से वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। बताया गया कि इस गिरोह ने रोहतक, झज्जर, भिवानी व रेवाड़ी जिले में भी एक-एक वारदात को अंजाम दिया है।

प्रतिबंधित दवा मिलने पर तीन मेडिकल स्टोर सील किए

सिरसा (हरियाणा): प्राप्त समाचार के अनुसार प्रतिबंधित दवा मिलने पर तीन मेडिकल स्टोरों को सील किए जाने का मामला सामने आया है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की। टीम ने जिले के कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान तीन मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाएं व अनियमितताएं मिली और उन्हें पर सील कर दिया गया। पुलिस के अनुसार डीएसपी रमेश कुमार के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने दवा दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाया। टीम ने गांव अलीकां में भगवान मेडिकल स्टोर को प्रतिबंधित दवाई टेंपाडोल मिलने पर सील कर दिया।

अवैध निजी अस्पताल पर छापेमारी, सील करने का निर्देश

जमानिया (वाराणसी): प्राप्त समाचार के अनुसार अवैध निजी अस्पताल पर छापेमारी की गई और उसे सील करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई नगर पालिका क्षेत्र के चांदपुर नई बस्ती मोहल्ले में स्थित निजी अस्पताल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने की। बताया गया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं मिला। वहीं, अस्पताल के पंजीकरण संबंधी कागजात भी नहीं मिले। इसके चलते अस्पताल को बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. रवि. रंजन ने चांदपुर नई बस्ती मोहल्ले में फर्जी तरीके से संचालित एक अस्पताल पर रेड की। मौके पर दो मरीज भर्ती पाए गए। वहीं अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल से संबंधित दस्तावेज मांगे तो कर्मचारी इसे नहीं दिखा पाए। इसके चलते डॉ. रविरंजन ने भर्ती मरीजों को तत्काल सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने और इस अस्पताल को बंद करने का निर्देश दिया। इस कार्रवाई की खबर से फर्जी अस्पताल संचालकों में हडकंप मचा हुआ है। इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डा. रविरंजन ने बताया कि अस्पताल को बंद करने के निर्देश के साथ ही नोटिस भी भेजा जा रहा है।

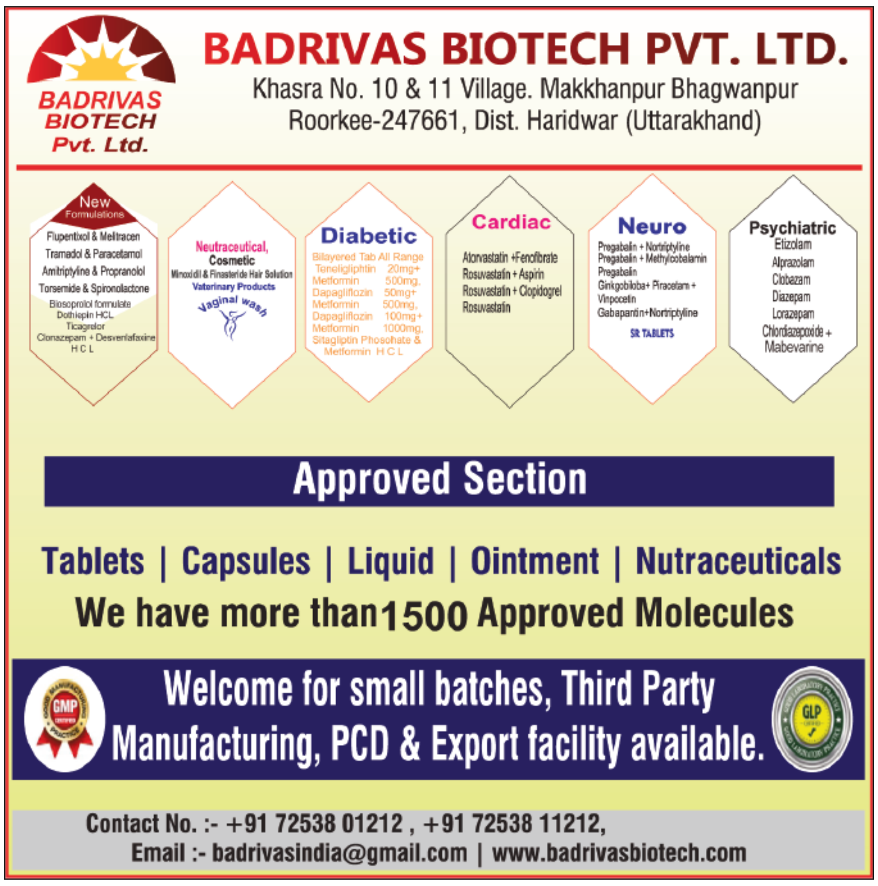

क्षणिकाएं

1. कटिबद्धता,
में जी पाओ।
सोचो कार्य,
पूर्ण कर जाओ।

2. गुमनामी मिले या
शोहरत,
कर्म करते जाना है।
कोई आस मन में रखी
तो,
कर्म नहीं कर पाना है।

3. बुद्धि तत्परता,
अवश्य चाहिए।
पर धैर्य भी,
जीवन में लाइए।

4. कभी न कभी,
संतुष्ट हो जाना है।
अन्यथा तो,
दुखी ही हो पाना है।

5. सब बाते न
बतलाओ।
कुछ बातें,
स्वयं भी सुलझाओं।

6. मानवता बढ़ाईए,
मित्रता बढ़ाईए।
मानव जीवन को,
सार्थक बनाईए।।

नरेन्द्र नाथ लाहा,
9826611169

बांग्लादेश संकट से भारतीय फार्मा निर्यातकों को पीड़ा

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति और उससे जुड़ी हिंसा के कारण भारतीय दवा उद्योग को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि दवाइयों और अवयवों के कई निर्यातकों का पैसा पड़ोसी देश में फंसा हुआ है, उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा। फार्मा कंपनियां अब बांग्लादेश को आपूर्ति करने में हिचकिचा रही हैं, क्योंकि बकाया भुगतान काफी बढ़ गया है और वे अपनी वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंतित हैं, ऐसे में पड़ोसी देश में दवाओं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। नाम न बताने की शर्त पर एक उद्योग विशेषज्ञ ने ईटी को बताया, व्यापार को प्रभावित करने वाला कोई भी संकट आपूर्ति में देरी, लागत में वृद्धि या यहां तक कि दवा की उपलब्धता में रुकावट पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर संकट जारी रहा तो सभी प्रमुख भारतीय फार्मा कंपनियों और कई मध्यम और छोटे उद्यमों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। भारत कुल सक्रिय दवा सामग्री (API) और अन्य संबंधित कच्चे माल का 30 प्रतिशत बांग्लादेश को निर्यात करता है। 2023 में पड़ोसी देश को भारत द्वारा भेजे जाने वाले दवा उत्पादों का मूल्य केवल 50.3 मिलियन डॉलर था, लेकिन बाजार में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। एक फार्मा उद्योग विश्लेषक ने कहा, भारतीय कंपनियां अग्रिम भुगतान के बिना सामग्री की आपूर्ति करने से परहेज कर रही हैं। उनका पैसा फंस गया है। उन्होंने कहा, पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए कोई भी कंपनी आपूर्ति करने में दिलचस्पी नहीं लेगी। यह (आपूर्ति) बुरी तरह प्रभावित होने वाली है। विश्लेषक ने कहा कि बांग्लादेश में विनिर्माण इकाई रखने वाली तथा वहां अपने उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा बेचने वाली भारतीय फार्मा कंपनियों को टिके रहना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, वैश्विक स्तर की भारतीय कंपनियों ने माना है कि व्यवधान होंगे, इसलिए सभी कंपनियों के लिए जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कई भारतीय फार्मा कंपनियों की बांग्लादेश में मजबूत उपस्थिति है, सन फार्मा ने हाल ही में बांग्लादेश में एक संयंत्र खोला है – यह बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ते आर्थिक और औद्योगिक जुड़ाव के हिस्से के रूप में वहां उसका दूसरा बड़ा निवेश है। इस विकास से बांग्लादेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। ऊपर उद्धृत विशेषज्ञ ने कहा, पिछले दशक में बांग्लादेश की दवा कंपनियों ने प्रौद्योगिकी को उन्नत करके अपनी दवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन वे चीन, दक्षिण कोरिया और भारत से आयात करते हैं। यह संकट देश के स्वास्थ्य सेवा और फार्मा क्षेत्रों को बहुत प्रभावित करने वाला है।

www.medicaldarpan.com

सेक्स दवा बेचने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 33 अरेस्ट

नवी मुंबई: सेक्स दवा बेचने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करने में रायगढ़ पुलिस को सफलता मिली है। अलीबाग के एक रिसॉर्ट में अवैध रूप से चलाए जा रहे कॉल सेंटर से अमेरिकी नागरिकों को सेक्स ड्रग्स बेची जाती थी। कॉल सेंटर के करीब 33 कर्मचारियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि ये कर्मचारी वीओआईपी और अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से इंटरनेट कॉल कर अमेरिकी नागरिकों से संपर्क करते थे और उन्हें सेक्स उत्तेजना दवाएं बेचने की पेशकश करके पैसे ठगते थे। रायगढ़ के एसपी सोमनाथ घर्गे ने बताया कि अलीबाग पुलिस को सूचना मिली थी कि अलीबाग तालुका के परहुर गांव में नेचर एज रिसॉर्ट में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। इंस्पेक्टर केपी सेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रिसॉर्ट पर छापा मारा। मौके से कॉल सेंटर में कार्यरत 32 पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। कॉल सेंटर का संचालन रोहित ब्यूटेन नामक व्यक्ति कर रहा था, जिसकी तलाश की जा रही है। कॉल सेंटर के कर्मचारी अमेरिकी नागरिकों से अमेरिकी फार्मा कंपनी के प्रति. निधि बनकर संपर्क करते थे। वे वियाग्रा, सियालिस और लिविट्रो जैसी सेक्स उत्तेजक दवाएं बेचने की पेशकश करते थे। इसके बाद आरोपी गिफ्ट कार्ड के जरिए भुगतान लेते थे। इसके बाद कर्मचारी गिफ्ट कार्ड की रकम को भारतीय मुद्रा में भुनाते और हवाला के जरिए मुख्य आरोपी ब्यूटेन को ट्रांसफर कर देते थे।

नीरू गर्ग स्वामी की ओर से ब्रजेश कुमार गर्ग द्वारा प्रकाशित, ब्रजेश कुमार गर्ग द्वारा मुद्रित तथा हरिहर प्रेस के लिए इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एण्ड पैकिंग लिमिटिड नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में मुद्रित एवं के० पी० रोड, बुलन्दशहर से प्रकाशित, सम्पादक – ब्रजेश कुमार गर्ग